18

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलू

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

अठारहवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अठारहवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलू

(_____दिसंबर. 2022 **को** लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

_____दिसंबर**, 2022/ _____**अग्रहायण**, 1944(**शक**)**

विषय सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति (2020-21) की संरचना (ii)
प्राक्कलन समिति (2021-22) की संरचना (iii)
प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना (iv)
प्राक्कथन (vi)

भाग एक

अध्याय एक प्रस्तावना 1
अध्याय दो बजट आबंटन और वास्तविक उपलब्धियां 4
अध्याय तीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाएं 11
अध्याय चार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत सकल बजटीय सहायता 25

भाग दो
टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें 43

अनुबंध

I. दिनांक 22 दिसंबर 2020 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 50
II. दिनांक 6 जनवरी 2021 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 53
III. दिनांक 26 अक्तूबर 2021 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 55
IV. दिनांक 14 दिसंबर 2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त 57

प्राक्कलन समिति का संरचना (2020-21)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री प्रदान बरूआ
5. श्री सुदर्शन भगत
6. श्री अजय भट्ट
7. श्री पी.पी. चौधरी
8. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
9. श्री निहाल चंद चौहान
10. श्री पी.सी. गद्दीगौद
11. डॉ संजय जायसवाल
12. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
13. श्री मोहनभाई कुंडारिया
14. श्री दयानिधि मारन
15. श्री पिनाकी मिश्रा
16. श्री के मुरलीधरन
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
26. श्री जुगल किशोर शर्मा
27. श्री प्रताप सिम्हा
28. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
29. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

प्राक्कलन समिति का गठन (2021-2022)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
8. श्री हरीश द्विवेदी
9. श्री पी.सी. गद्दीगौदर
10. डॉ संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री दयानिधि मारन
14. श्री पिनाकी मिश्रा
15. श्री के मुरलीधरन
16. श्री जुएल ओराम
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री दिलीप शइकीया
26. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
27. श्री जुगल किशोर शर्मा
28. श्री प्रताप सिम्हा
29. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
30. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

**** बुलेटिन भाग-2 नंबर 2897 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित।**

प्राक्कलन समिति की संरचना (2022-2023)

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - सभापति

2. कुँवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी,
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री हरीश द्विवेदी
8 श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
11. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. श्री के. मुरलीधरन
14. श्री जुआल ओराम
15. श्री कमलेश पासवान
16. डॉ. के.सी. पटेल
17. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
18. श्री विनायक भाऊराव राउत
19. श्री अशोक कुमार रावत
20. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. श्री दिलीप शइकीया
23. श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सरदिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री परवेश साहिब सिंह
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
30. श्री श्याम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	डॉ. (श्रीमती) शीतल कपूर	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलु' विषय संबंधी अठारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 200 से अधिक नृजातीयों लोगों की अलग-अलग आबाद रहती है। इस क्षेत्र की 98 प्रतिशत से अधिक सीमाएं पड़ोसी देशों यथा चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ लगती हैं। उत्तर पूर्व की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें अलग-अलग सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां हैं जो इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बाधित करती हैं।

3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास स्कीमों और परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी से जुड़े सभी मामलों से संबंधित है। यह मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम जिसे पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों और कतिपय केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से विशेष पैकेज स्कीम सहित विभिन्न स्कीमों को लागू करता है।

4. प्राक्कलन समिति (2020-21) ने गहन जांच करने और सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू' विषय का चयन किया। प्राक्कलन समिति (2021-22) और (2022-23) ने इस विषय की जांच संबंधी कार्य को जारी रखा।

5. इस प्रतिवेदन में, समिति ने विभिन्न मुद्दों यथा **वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में बजट प्राक्कलन, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) की स्थिति, पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) से संबंधित मुद्दे, सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ), अन्य विशेष विकास पैकेज (बीटीसी, केएएटीसी, डीएचएटीसी)** और **एमडीओएनईआर के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों,** पर विचार किया है। समिति ने इन मुद्दों/ बिंदुओं का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है और इस प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशें की है।

6. समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए दिनांक 22.12.2020, 06.01.2021 और 26.10.2021 को तीन बैठकें आयोजित कीं। इस विषय की जांच के संबंध में समिति ने दो तत्स्थानिक अध्ययन दौरे भी किये; इम्फाल, मणिपुर (29.09.2021) और शिलांग, मेघालय (6-7 नवम्बर, 2022)। समिति ने दिनांक 14 दिसंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

7. समिति, समिति के समक्ष उपस्थित होने और विषय के संबंध में अपनी सुविचारित राय रखने तथा विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करती है।

8. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को इस प्रतिवेदन के भाग दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
14 दिसम्बर, 2022
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

संकेताक्षर की सूची

बीओटी	बिल्ड ट्रांसफर-ऑपरेट-
बीटीसी	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद
सीडीजी	सामुदायिक विकास समूह
डीएचएटीसी	दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
आईआईपी	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग
केएएटीसी	कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद
एमडीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
एनईएसआईडीएस	उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास योजना
एनएलसीपीआर	गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल-
एनईसी	उत्तर पूर्वी परिषद
एनईआरएलपी	उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना
नेरकॉर्म्प	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना
एनईएएचईडीपी	उत्तर पूर्वी कृषि बागवानी और आर्थिक विकास परियोजना-
एनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
आरसीएस	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना
एसआईडीएफ	सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष
एसडीजी	सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स

भाग-I

अध्याय-I

प्रस्तावना

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य नामतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इन छोटे राज्यों में 200 से अधिक नृजातियों की अलग-अलग आबादी रहती है। इस क्षेत्र की 98% से अधिक सीमाएं पड़ोसी देशों, अर्थात् चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ लगती है। उत्तर पूर्वी (एनई) की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें अलग-अलग सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से संपर्क, उद्यमशीलता और कौशल की दृष्टि से पिछड़ा है। इसके चलते न केवल रोजमर्रा का जीवन और आजीविका बाधित हुई है, बल्कि इसने क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बाधित किया है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास स्कीमों और परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी से जुड़े सभी मामलों से संबंधित है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत के अन्य विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने का प्रयास करता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर), उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है जिसमें अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल स्कीम, उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम और विशेष पैकेज शामिल है।

1.3 एमडीओएनईआर एक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाला अपनी तरह का एकमात्र मंत्रालय है जिसका उद्देश्य एनईआर के विकास के लिए विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करना है। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है। मंत्रालय के दृष्टिकोण और मिशन को विस्तार से बताते हुए, विषय की जांच के दौरान एमडीओएनईआर के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

> "... मंत्रालय का दृष्टिकोण इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति में तेजी लाना है, ताकि सभी उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क, क्षमता निर्माण, संसाधन और कौशल-आधारित उद्योगों, व्यापार, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके और एनएलसीपीआर का पूरी तरह से लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर

निवेश के साथ सांस्कृतिक क्षमता और रचनात्मकता का उपयोग करके देश के अन्य भागों के समान विकास हो।

मंत्रालय का मिशन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से योजनाओं और नीतियों को तैयार करना और कार्यान्वित करना, 10% जीबीएस का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी करना, और इस तरह से बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी विकसित करना ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में बाधाओं को कम किया जा सके, और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए निजी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और क्षमता बढ़ाने वाले संस्थानों को सशक्त करना है।"

1.4 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग मूल रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अपनी योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% अलग रखते हैं ताकि इस क्षेत्र में बजटीय संसाधन प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सके और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना में बैकलॉग और अंतराल को पाटा जा सके। नोडल मंत्रालय होने के नाते, एमडीओएनईआर, मंत्रालय की स्थापना के बाद से गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनिवार्य 10% जीबीएस के तहत व्यय की निगरानी और ट्रैकिंग करता है। तथापि, संबंधित मंत्रालय/विभाग केवल अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहते हैं।

1.5 अपने एक लिखित उत्तर में, एमडीओएनईआर ने बताया कि विकास के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं में, भारत सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष बल दे रही है। हाल ही में, सरकार ने न केवल नई अवसंरचना के सृजन अपितु उत्तर पूर्वी क्षेत्र, राज्य के भीतर, अंतर-राज्यीय और सीमा पार की मौजूदा अवसंरचना में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सात उत्तर पूर्वी राज्य अब रेलवे मानचित्र पर हैं, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानियों को जोड़ने के लिए चार राजधानी रेल संपर्क परियोजनाएं चल रही हैं और 2022-23 के दौरान इनके पूरा होने की संभावना है। समस्त मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया है और 2023 तक पूरी लाइनों को विद्युतीकृत करने की योजना है।

1.6 प्रमुख राजधानी सड़क संपर्क परियोजनाएं (कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक, आइजोल और इम्फाल) चल रही हैं। सिक्किम के पाक्योंग में नए ग्रीन-फील्ड विमानपत्तनपर काम 2018 के दौरान पूरा हो गया था, और अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में एक और ग्रीन-फील्ड विमानपत्तन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और

2023 में इसके पूरा होने की संभावना है। सरकार ने गुवाहाटी, इम्फाल, दीमापुर और डिब्रूगढ़ में मौजूदा विमानपत्तनों का विस्तार और सुधार करने की भी योजना बनाई है।

1.7 एमडीओएनईआर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के परामर्श से कार्यान्वित करता है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय या नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एनईसी की स्थापना 1971 में एक सांविधिक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, जो एमडीओएनईआर के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्य, परिषद के सदस्य हैं, उनके संबंधित मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में परिषद में शामिल किया गया था। एनईसी ने विगत पचास वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की योजना बनाई है और उनका समर्थन किया है।

1.8 एनईसी ने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाले प्रमुख संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना एमडीओएनईआर, एनईसी और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), शिलांग के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई थी। वर्तमान में आईआईएम, शिलांग परिसर में स्थित, उपरोक्त केंद्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीतिक नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

1.9 नीति आयोग द्वारा विकसित एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) इंडेक्स इंडिया 2020-21, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के मापदंडों पर राज्य और एनईआर राज्यों के प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर देता है। 71 के स्कोर कार्ड के साथ सिक्किम एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर शीर्ष पांच राज्यों में से एक है, जबकि तीन उत्तर पूर्वी राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को नीचे के पांच राज्यों में जगह मिली है।

1.10 एनईआर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से दूरस्थ, पहाड़ी और कठिन इलाकों में कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों की कमी और संसाधनों की कमी आदि में महत्वपूर्ण खराब बुनियादी ढांचा है। हालांकि, एनई में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, समिति ने विस्तृत जांच के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलू" विषय को लिया है।

अध्याय – दो

बजट आबंटन और वास्तविक उपलब्धियां

एक. बजट आबंटन

2.1 एमडीओएनईआर द्वारा प्रस्तुत लिखित टिप्पण के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान एनईसी को किया गया बजटीय आबंटन और व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	आरई की तुलना में एई का प्रतिशत
2014-15	2332.78	1825.45	1719.44	94.19%
2015-16	2362.74	2000.14	1986.80	99.33%
2016-17	2430.01	2524.42	2495.84	98.87%
2017-18	2682.45	2682.45	2513.97	93.72%
2018-19	3000.00	2629.48	1961.19	74.58%
कुल	12807.98	11661.94	10677.24	91.56%
2019-20	3000.00	2670.00	2669.71	99.99%
2020-21	3048.73	1896.00	1896.00	100.00%
2021-22	2658.00	-	1031.63*	38.81% #

* 20.09.2021 की स्थिति अनुसार

बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय का %

2.2 प्रस्तुत किए गए ब्योरे के अनुसार 2021-26 की अवधि के लिए एनईसी की निधि की आवश्यकता का अनुमान निम्नानुसार है:

ब्योरा	राशि (करोड़ रुपये में)					
	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवां वर्ष	कुल
एनईसी की योजनाएं	1800	2500	3000	3500	4200	15000

एनईआरएसडीएस (उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास योजना)	1000	1200	1500	2000	2300	8000
कुल	2800	3700	4500	5500	6500	23000

2.3 लिखित टिप्पण के अनुसार, 2021-22 की अवधि के लिए मंत्रालय [एमडीओएनईआर + एनईसी की योजनाएं] की कुल निधि आवश्यकता 5130 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

2.4 2020-21 तक एमडीओएनईआर के लिए कम बजटीय आबंटन के संबंध में, सचिव, एमडीओएनईआर ने 12 दिसंबर, 2022 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान, निम्नानुसार बताया:

> ''मंत्रालय उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी राज्यों को ढांचागत अंतराल को पाटने के लिए संसाधन प्रदान करती है। हालांकि, हमारे मंत्रालय को बहुत कम बजटीय आबंटन किया गया है। 2020-21 के लिए हमारा बजट अनुमान 3,048 करोड़ रुपये था, जिसे घटाकर केवल 60 प्रतिशत के स्तर अर्थात 1,860 करोड़ रुपये कर दिया गया है। व्यय विभाग द्वारा लगाई गई तिमाही और मासिक व्यय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम चालू वित्त वर्ष में अपने संसाधनों का 100 प्रतिशत उपयोग करने में समर्थ रहे हैं। गत वर्ष 2019-20 में हमने अपने संशोधित अनुमान संसाधनों का 100 प्रतिशत उपयोग किया था।
>
> उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए हमारे अगले पांच वर्षों के विजन के भाग के रूप में, महत्वपूर्ण विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक संसाधनों में भारी वृद्धि की योजना बनाई गई है। हमने 2021-22 से शुरू होने वाली 15वें वित्त आयोग की पंचवर्षीय अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इन पांच वर्षों में से वर्ष 2021-22 के लिए, हमने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। हम माननीय समिति से अधिक आबंटन किये जाने का पुरजोर अनुरोध करते हैं ताकि हमारे हस्तक्षेप उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकें।
>
> नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर उजागर की गई लागत वृद्धि या समय वृद्धि या उत्पादों की गुणवत्ता मंत्रालयों और क्षेत्रों में चिंता का विषय और सामान्य घटनाएं हैं और उत्तर पूर्वी इसका कोई अपवाद नहीं है।

लेकिन हमारे मंत्रालय ने समय और लागत में वृद्धि को कम करने और गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से सरकारी परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए हैं और अनेक कदम उठा भी रहा है।

पिछले एक साल में ही 170 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। एनईसी और हमारे मंत्रालय दोनों को लगभग 2500 करोड़ रुपये की 170 परियोजनाएं मिली थी। ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, द्वारा अधिक आबंटन की मांग पूर्णतया उचित है। यदि हमें यह अवसर दिया जाता है तो डीओएनईआर के पास ऐसे अधिक आबंटन का उपयोग करने की क्षमता है।

2.5 विषय की जांच के दौरान, कम/अपर्याप्त बजट आबंटन के मुद्दे ने समिति का ध्यान आकर्षित किया और समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"... यह एक चिंताजनक स्थिति है कि उन्हें वास्तव में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में बहुत कम राशि मिली है और यहां तक कि अब इसे घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

... समिति इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेती है। यह देश का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। शेष भारत के साथ इस क्षेत्र के जुड़ाव का सर्वोपरि महत्व होना चाहिए और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। चूंकि, ये सभी एक बहुत ही संवेदनशील पड़ोसी देश के साथ लगते सीमावर्ती राज्य हैं, अतः, भारत के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग के लिए किसी भी कमी या निधि की कमी को सरकार को बहुत सावधानीपूर्वक और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए और उनकी निधि संबंधी आवश्यकता को पूर्णरूपेण पूरा किया जाए। मेरा यह कहना है कि यह क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के समकक्ष है। चूंकि हम रक्षा क्षेत्र को धन देने में प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा माननीय सभापति जी से अनुरोध है कि वे समिति की ओर से हमारी चिंताओं पर ध्यान दें।

2.6 इस विषय पर उत्तरवर्ती साक्ष्य के दौरान, एमडीओएनईआर के सचिव ने एमडीओएनईआर को कम बजटीय आबंटन के संबंध में निम्नवत बताया:

''कल ही व्यय विभाग ने हमें 2021-22 के लिए हमारे बजट अनुमान के बारे में बताया। हम यह जानकर अप्रसन्न हैं कि अगले वर्ष के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये की हमारी मांग की तुलना

में व्यय विभाग ने अगले वर्ष के लिए हमारा बीई ₹ 2,410 करोड़ निर्धारित किया है, जो न केवल 2019-20 के बीई से भी कम है, बल्कि हमारे 2019-20 के आरई और वास्तविक व्यय से भी कम है। मैंने पिछली बैठक में समिति को यह भी सूचित किया है कि चालू वर्ष के लिए, हमारा आरई 3,048 करोड़ रुपये से घटाकर केवल 1,860 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हम इसकी तुलना में पहले ही ₹1,600 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अतः, हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अधिक आबंटन हेतु हमारे अनुरोध की पुरजोर सिफारिश करे ताकि कम से कम यह वर्तमान वर्ष के बीई से अधिक हो।

2.7 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2020 में उत्तर पूर्वी राज्यों में वंचित क्षेत्रों; समाज के वंचित/उपेक्षित वर्गों और उभरते प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए मौजूदा "उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं" के तहत नई परियोजनाओं के लिए एनईसी के आबंटन का 30 प्रतिशत निर्धारित करने को भी मंजूरी दी। इससे एनईसी द्वारा विशेष रूप से उभरते प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक केंद्रित हस्तक्षेप किया जा सकेगा। एनईसी ने वंचित क्षेत्रों तथा समाज के वंचित/उपेक्षित वर्गों और उभरते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, लुप्तप्राय भाषाओं, अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली है; और इन चिह्नित क्षेत्रों में विशिष्ट हस्तक्षेप भी शुरू कर दिए गए हैं। एनईसी के बजट के शेष आबंटन को दो घटकों अर्थात् राज्य घटक - 60 प्रतिशत और केंद्रीय घटक - 40 प्रतिशत में विभाजित किया गया है। एनईसी आबंटनों के निर्धारित राज्य घटक के लिए नई परियोजनाओं की पहचान करने के लिए राज्य एनईसी के अधिदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के तहत परियोजनाएं प्रस्तुत करते हैं जबकि अन्य घटकों के तहत परियोजनाओं की पहचान एनईसी द्वारा राज्य सरकार/केंद्रीय मंत्रालयों/अन्य हितधारकों के परामर्श से की जाती है। एनईसी 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास योजना' के तहत परियोजनाओं को निधियां भी प्रदान करता है।

दो. वास्तविक उपलब्धियां

2.8 एनईसी ने इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, शिलांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर, क्षेत्रीय पैरामेडिकल एंड नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, तेजपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, क्षेत्रीय औषध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (रिपसैट), अगरतला व अन्य संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनईसी के निधियन से कुल 11,017.95 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके रखरखाव के लिए राज्यों को सौंप दिया गया है। एनईसी ने 694.5 मेगावाट के बिजली संयंत्रों की स्थापना

और 10,341.63 सर्किट कि.मी. की पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है। इसके अलावा एनईसी ने 11 इंटरस्टेट बस टर्मिनस (आईएसबीटी) परियोजनाओं, तीन इंटरस्टेट ट्रक टर्मिनस, 5 प्रमुख विमानपत्तनों में अवसंरचना सुधार और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों का भी वित्तपोषण किया है।

2.9 साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने समिति को एनईसी की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जो निम्नानुसार है:

"...एनईसी मूल रूप से दो योजनाएं संचालित करती है। एक तो एनईसी की योजनाएं हैं। परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न शीर्षों के तहत विकास परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान करती है, जो वहां सूचीबद्ध हैं, अर्थात् कृषि-बागवानी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि। 2017-18 से 2020- 21 तक परिव्यय ₹4670 करोड़ था और योजनागत परिव्यय का 30 प्रतिशत 2020-21 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वंचित क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों के संकेंद्रित विकास के लिए निर्धारित किया गया है।

एनईसी द्वारा संचालित दूसरी योजना उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) है। इस योजना के अंतर्गत, मौजूदा सड़कें, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से उपेक्षित हैं, जिनमें अंतर-राज्यीय सड़कें भी शामिल हैं और जिन्हें मूल रूप से ऑर्फन रोड कहा जाता है, उनका उन्नयन अथवा मरम्मत की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए, इसके लिए कुल परिव्यय 1340 करोड़ रुपये था।

यदि हम वर्षों से एनईसी की प्रमुख अवसंरचनागत उपलब्धियों को देखें तो एनईसी के वित्तपोषण द्वारा लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने लगभग 700 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना और 10,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक की पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण में सहयोग दिया है। महोदय, 11 अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस का कार्य शुरू किया गया है और तीन अंतर-राज्यीय ट्रक टर्मिनस का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में पांच प्रमुख विमानपत्तनों की अवसंरचना में सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में नए विमानपत्तन को पूरी तरह से एनईसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

महोदय, यदि हम एनईसी के सहयोग से बने संस्थानों को देखें तो उनमें एनईपीए, एनईईपीसीओ, नेरामैक, नेरिस्ट, रिपन, नेरिवाल्म, रिम्स, एलजीबीआरआईएमएच, एनईएसएसी, बीबीसीआई, आरडीसी, आरएनसी, रिपसैट और सीबीटीसी हैं।

इसके अलावा, एनएलसीपीआर केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थीं। महोदय, इनमें से सात परियोजनाएं एनईसी को हस्तांतरित कर दी गई हैं जिनमें से चार पूरी हो चुकी हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच केवल अगरतला-अखौरा रेल लाइन पर काम चल रहा है। इसमें भारत की ओर से होने वाला खर्च एनईसी द्वारा वहन किया जाता है। इससे अगरतला और बांग्लादेश के बीच सीमा पार रेल संपर्क स्थापित होगा।

असम में एक और परियोजना, माजुली द्वीप है। यह योजना मूल रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से द्वीप की सुरक्षा के लिए है। हमें उम्मीद है कि यह अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। यह केंद्रीय एनएलसीपीआर के अंतर्गत शुरू किया गया है।.."

2.10 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि लागत और समय में वृद्धि या उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"परियोजनाओं में लागत और समय वृद्धि से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के व्यय अग्रिम अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का कार्यान्वयन और केवल इस प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करना; इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन/मानीटरिंग के लिए राज्य-वार मुख्य नोडल अधिकारियों/नोडल अधिकारियों की नियुक्ति; राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकें और परियोजना कार्यान्वयन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय और संचार शामिल है। परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी समितियों की बैठकों के दौरान भी चर्चा की जाती है, जिनकी सह-अध्यक्षता उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा की जाती है। एनएलसीपीआर योजना, जो 90:10 वित्तपोषण पैटर्न पर थी, के तहत परियोजना के कार्यान्वयन में एक बाधा निधियों के राज्य के हिस्से को जारी नहीं करना था। इस मुद्दे के

समाधान के लिए एनईएसआईडीएस की नई योजना केंद्र सरकार से 100% वित्तपोषण के साथ बनाई गई थी।"

2.11 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई बीओटी या पीपीपी मॉडल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। समिति के इस प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी है:

"उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं की बहुत सीमित संख्या है (जिनमें से, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर या बीओटी एक मॉडल है) । उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे इन परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम हो सकें।"

अध्याय तीन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाएं

3.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं अर्थात् गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर), उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), विशेष विकास पैकेज, सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (एसआईडीएफ), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) आदि को उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित करता है; उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शुरू की जा रही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की कुछ योजनाओं का ब्योरा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

एक. गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) - राज्य योजना

3.2 एनएलसीपीआर योजना 1998 में तत्कालीन योजना आयोग के तहत अस्तित्व में आई थी। तत्पश्चात्, 2001 में इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो वर्ष 2004 में स्वतंत्र मंत्रालय बन गया है। एनएलसीपीआर स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को मंजूरी देकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अवसंरचना क्षेत्र में अंतर को पाटना है। एनएलसीपीआर योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से वार्षिक बजटीय आवंटन प्राप्त होता है। इस योजना के अंतर्गत निधियों को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के आधार पर साझा किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित निधियां वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के आधार पर 40% और 60% की किस्तों में जारी की जाती हैं। पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या और उनके वित्तीय निहितार्थों के बारे में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "...योजना की शुरुआत से ही, एनएलसीपीआर योजना के तहत कनेक्टिविटी, सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति, सीवेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में 16,233 करोड़ रुपये की 1,635 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ..."

3.3 एनएलसीपीआर में संचित निधियों के संबंध में, सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक के दौरान निम्नवत बताया:

"...अब तक, एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय को समायोजित करने के अलावा, वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिनकी सिफारिश मंत्रालय द्वारा की गई थी, के वित्तपोषण के लिए इस पूल के प्रति या बाहर किसी भी संसाधन की अनुमति नहीं दी है। मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने के लिए इस एनएलसीपीआर पूल का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए इस मामले को पहले ही वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। मंत्रालय को एनईसी के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी राज्यों से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की एक सूची पहले ही मिल चुकी है। चूंकि इस एनएलसीपीआर का अनुरक्षण प्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है न कि लोक लेखाओं में आरक्षित पूल के रूप में, जैसा कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन या 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार परिकल्पित किया गया था, इसलिए इस पूल से संसाधनों का वास्तविक प्रवाह वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजटीय आबंटन के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसके बारे में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में प्रावधान किया जा सकता है।"

3.4 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने के लिए इस एनएलसीपीआर पूल का लाभ उठाने की अनुमति देने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय को उत्तर दिए जाने के लिए कहे जाने पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया है:

"सभी 54 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के विकास के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% खर्च करने का अधिदेश दिया गया है। 10% जीबीएस के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। 10% जीबीएस के तहत मंत्रालयों/विभागों की अव्ययित शेष राशि को अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) निवल संचय निधि में अंतरित किया जाता है जो वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा प्रोफार्मा आधार पर रखा गया काल्पनिक पूल है।

एनएलसीपीआर में जमा रकम 2013-14 (अंतिम) तक लगभग 14,697 करोड़ रुपये है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अव्ययित शेष/एनएलसीपीआर उपार्जन की भी गणना (संशोधित पद्धति के अनुसार) की है और इसकी जांच और इसे अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। उत्तर पूर्वी

क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की गई गणना के अनुसार, 2019-20 तक, उक्त पूल में अनुमानित अनंतिम शेष राशि 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

एनएलसीपीआर निवल संचय निधि में अनुमानित शेष

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)	जिस तिथि को अंतिम गणना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी गई
1	2013-14 तक	14,696.94	वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया
2	2014-15	14,081.54	08.01.2020
3	2015-16	14,777.32	08.01.2020
4	2016-17	15,473.10	08.01.2020
5	2017-18	9,145.86	18.3.2020
6	2018-19	9,977.05	17.4.2020
7	2019-20	12,273.68	24.02.2021
	कुल	90,425.49	

हाल ही में, दिनांक 2.8.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2243 के उत्तर में, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि एनएलसीपीआर निधि में 90,425.49 करोड़ रुपये की अंनतिम राशि है जिसे दिनांक 31.03.2020 तक प्रोफार्मा आधार पर रखा गया है।

एनएलसीपीआर पूल से संसाधनों के उपयोग के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी के 14 आकांक्षी जिलों के समग्र विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करने और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी के लिए नीति फोरम द्वारा पहचाने गए पांच प्रमुख क्षेत्रों (बांस, चाय, पर्यटन, मत्स्य पालन और डेयरी) के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है और इसकी सह-अध्यक्षता उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री द्वारा की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पैरामीटरों में सुधार करने के लिए और अन्य मंत्रालयों/विभागों की कुछ अन्य परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विशेष मिशन मोड परियोजनाएं, जिन्होंने पहले ही अपना 10% जीबीएस खर्च कर दिया है और जिनके पास अतिरिक्त अवशोषक क्षमता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 10,883 करोड़ रुपये की कम से कम 4 ऐसी परियोजनाओं की सिफारिश की थी (10,113 करोड़ रुपये के लिए 2 परियोजनाएं यानी जल विद्युत क्षेत्र के लिए 6,113 करोड़ रुपये की ब्याज

सहायता और बोंगाईगांव थर्मल पावर प्लांट के वित्तपोषण के लिए 4,000 करोड़ रुपये), डीपीआईआईटी (770 करोड़ रुपये), और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इंद्रधनुष गैस ग्रिड के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 5,559 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान की आंशिक सहायता राशि की सिफारिश की थी। 22.9.2020 को आयोजित पीएमओ समीक्षा बैठक के बाद, सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से एनएलसीपीआर पूल निधियों का लाभ उठाने के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय और कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विगत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री ने इस मामले को माननीय वित्त मंत्री के साथ उठाया है।"

3.5 एनएलसीपीआर योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के अलावा, एनएलसीपीआर योजना को दिसंबर, 2017 से बंद कर दिया गया है, और इसे उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) नामक एक नई योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 2017 तक एनएलसीपीआर के तहत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों की स्थिति के बारे में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 6676.59 करोड़ रुपये की 431 परियोजनाओं में से 5471.53 करोड़ रुपये की 354 परियोजनाएं चल रही हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न राज्यों में हैं और शेष 431-354 रुपये की 77 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

दो. उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस)

3.6 एनएलसीपीआर-राज्य योजना के स्थान पर 15.12.2017 से लागू एनईएसआईडीएस, 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि (क) पर्यटन को बढ़ाने के लिए जल आपूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी से संबंधित वास्तविक अवसंरचना और (ख) शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए सामाजिक क्षेत्रों के विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर को पाटा जा सके। एनईएसआईडीएस को भारत सरकार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त माना जाएगा। केवल उन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की गई है।

3.7 एनईएसआईडीएस, जिसे शुरू में तीन वर्षों यानी 2017-18 से 2019-20 के लिए स्वीकृत किया गया था, को मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। ईएफसी द्वारा लंबित मूल्यांकन और 15 वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान योजना को जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन, दिये जाने पर वित्त मंत्रालय ने सितंबर, 2021 तक योजना का अंतरिम विस्तार दिया था। एनईएसआईडीएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और उनके वित्तीय निहितार्थ के संबंध में मंत्रालय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एनईएसआईडीएस के अंतर्गत अब तक 2563.14 करोड़ रुपये की लागत वाली 110 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1305.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिनमें से 489 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किया जा चुका है और ये सभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एनईएसआईडीएस परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

3.8 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में समिति को सूचित किया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में एनईएसआईडीएस के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 219.58 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ (08) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और अभी तक 77.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर वित्तपोषण के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को 26.09 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (असम को 5.00 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश को 3.55 करोड़ रुपये, सिक्किम को 1.75 करोड़ रुपये और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा प्रत्येक को 3.00 करोड़ रुपये)। मिजोरम को 0.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई थी।

तीन. विशेष विकास पैकेज (बीटीसी, केएएटीसी, डीएचएटीसी):

3.9 तीन विशेष विकास पैकेज हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

क. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी): इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 10.02.2003 को केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके लिए 500.00 करोड़ रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था। बाद में, इसी उद्देश्य के लिए वर्ष 2008 में 250.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पैकेज की भी घोषणा की गई थी । 750.00 करोड़ रुपये के कुल पैकेज से 749.63 करोड़ रुपये की लागत वाली 65 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत

की जा चुकी हैं और इनमें से 570.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

ख. दीमा हासाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी): केंद्र सरकार, असम सरकार और दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) के बीच 08.10.12 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए ताकि दीमा हसाओ में सबसे निचले स्तर पर शक्ति के हस्तांतरण के लिए समयबद्ध कदम उठाए जा सके और सभी स्तरों पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए वर्धित क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सकें, जिसके लिए 200.00 करोड़ रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था। पैकेज के तहत 170.82 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, और 29.00 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी के लिए रखा गया है।

ग. कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी): केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यूपीडीएस) के बीच 25.11.2011 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए ताकि कार्बी आंगलोंग में सबसे निचले स्तर पर शक्ति के हस्तांतरण के लिए समयबद्ध कदम उठाए जा सकें और सभी स्तरों पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए वर्धित क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए 350.00 करोड़ रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था। पैकेज के तहत 235.88 करोड़ रुपये की लागत वाली 25 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, और 111.92 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी के लिए रखा गया है।

चार. सामाजिक और अवसंरचना विकास कोष (एसआईडीएफ)

3.10 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और जनजातीय आबादी वाले अन्य दूरदराज, पहाड़ी, सीमावर्ती क्षेत्रों, जहां विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनसे सामान्य योजनाओं के माध्यम से नहीं निपटा जा सकता है, के लिए लोक लेखा में सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास कोष (एसआईडीएफ) बनाया गया है। स्थापना के बाद से, एसआईडीएफ के तहत, 587.16 करोड़ रुपये की लागत वाली 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और 410.06 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तक 560.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है और 500.87 करोड़ रुपये का राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा चुका है।

3.11 एसआईडीएफ के संबंध में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने 26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित बैठक के दौरान निम्नवत बताया:

"... एसआईडीएफ लगभग पूरी हो चुकी योजना है। इस साल या अगली साल खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ खास देना बाकी रह नहीं गया है। सिर्फ प्रोजेक्ट कम्पलीशन बाकी है। ..."

पांच. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

3.12 प्रायोगिक स्कीम और नेसिड्स की उप-स्कीम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) का उद्देश्य मणिपुर में तामेंगलोंग और नोनी के पहाड़ी जिलों का समग्र और समावेशी विकास करना है। यह सुदूर पर्वतीय जिलों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए राज्य के प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसमें स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन और मूल्यवर्धन में सुधार के लिए चिह्नित स्थानीय संसाधनों/प्राकृतिक बंदोबस्ती की क्षमता का दोहन करने की भी परिकल्पना की गई है। इन दो वर्षों के लिए योजना के तहत कुल बजटीय आवंटन नेसिड्स के लिए 90.00 करोड़ रुपये का है। इस आवंटन में से, 90.00 करोड़ रुपये की लागत वाली 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अब तक 49.5 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

3.13 एचएडीपी के संबंध में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने 26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित बैठक के दौरान निम्नवत बताया:

"... हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 90 करोड़ रुपये की एनईएसआईडीएस में एक छोटी सी सब-स्कीम थी, जो एक डिस्ट्रिक्ट तामेंगलांग के लिए थी। लेकिन तामेंगलोंग दो जिलों नोनी और तामेंगलोंग में बंट गया। वहां 90 करोड़ रुपये के छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स लेवल इंटरवेंशंस के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, वह नॉर्थ ईस्ट में काफी सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए और भी डिमांड थी तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में रिकमंड किया कि इनको बाकी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी बढ़ाइये। हमने ईएफसी में ऐसा रिकमंड किया था। ..."

छह. प्राकृतिक आपदा (बाढ़ राहत उपाय)

3.14 एक लिखित नोट में कहा गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2017 में बाढ़ के दौरान पूरी तरह से बह गई/क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए 200.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। प्राकृतिक आपदा के तहत, 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और उत्तर पूर्वी राज्यों को एकमुश्त केंद्रीय सहायता के रूप में 197.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अन्य पहलें

क. आजीविका परियोजनाएं

3.15 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दो आजीविका योजनाएं यथा उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (नेरकॉर्म्प) चला रहा है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 21 जिलों को शामिल किया गया है। इन दो योजनाओं के तहत 36561 स्वयं सहायता समूह और 1506 स्वयं सहायता समूह संघ बनाए गए थे। आजीविका संबंधित स्कीमें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इनपुट आपूर्ति, उत्पादन, एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन पर केंद्रित हैं। परियोजनाओं के तहत बड़ी संख्या में सामुदायिक विकास समूह (सीडीजी), निर्माता समूह (पीजीएस) और 22 उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं। एनईआरएलपी सितंबर, 2019 में समाप्त हो गया है, जबकि नेरकॉर्म्प 31.03.2020 से आगे विस्तारित कार्यकाल पर जारी है। मंत्रालय ने 947.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ एक नई परियोजना - उत्तर पूर्वी कृषि-बागवानी और आर्थिक विकास परियोजना (एनईएएचईडीपी) का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के भीतर और सस्टैनबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं में सतत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक उद्यम के विकास द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का आर्थिक परिवर्तन करना है। व्यय विभाग को नए प्रस्ताव पर संकल्पना नोट सैद्धांतिक (इन-प्रिन्सिपल) अनुमोदन हेतु दिनांक 11.06.2021 को भेज दिया गया है। आज की तारीख में ₹ 540.00 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली एनईआरसीओआरएमपी-III को 21.10.2021 बंद कर दिया गया था। व्यय विभाग द्वारा सुझावों/संशोधनों को शामिल कर संशोधित अवधारणा नोट व्यय विभाग को भेजा जा रहा है।

3.16 "22 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा था कि उत्तर पूर्वी दुर्गम, आदि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना "उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना, देश में सबसे अच्छी परियोजनाओं में से एक है। विश्व बैंक हमारे साथ इसी तरह की एक और उच्च कोटि की परियोजना करने के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन किसी कारण यह अब तक साकार नहीं हुआ।"

3.17 उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना को जारी रखने में विफल रहने के कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत कहा है:

"विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की नई योजना अर्थात् उत्तर पूर्वी कृषि-बागवानी और आर्थिक विकास परियोजना (एनई-एएचईडीपी) के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग समिति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर डीईए की स्क्रीनिंग समिति ने विचार किया था, हालांकि इस पर सहमति नहीं बनी थी। तदनुसार, इस मंत्रालय ने बजटीय सहायता के माध्यम से नए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो प्रक्रियाधीन है।

ख. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस क्षेत्र का विकास

3.18 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देश के कुल बांस क्षेत्र का लगभग 39% भाग आता है। सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस रोपण पर पूरा ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफए) के तहत वर्ष 2018-19 में एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है, जिसमें उपज तथा प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र की पूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया है । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत बांस को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पेड़ों की श्रेणी से हटाकर घास के रूप में पुन: वर्गीकृत कर दिया गया है । यह निर्णय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर बांस की खेती और प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करेगा।

3.19 उत्तर पूर्वी बेंत और बांस विकास परिषद (एनईसीबीडीसी) (जिसे पहले बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीटीसी) के नाम से जाना जाता था), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक संस्था है जिसे देश में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बेंत और बांस क्षेत्र के विकास का काम सौंपा गया है। यह क्षमता निर्माण/कौशल विकास; एनबीएम का बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी); घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में भागीदारी; उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बेंत और बांस समूहों का विकास; और असम के बर्नीहाट में बांस प्रौद्योगिकी पार्क को देखता है। इसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी 8 राज्यों (प्रत्येक राज्यों में दो) में विभिन्न विषयों पर 16 बेंत और बांस क्लस्टर बनाए हैं।

3.20 असम के दीमा हासाओ जिले के मांडरडिसा में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना के माध्यम से बांस के प्रसंस्करण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

द्वारा दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी) के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 49.43 करोड़ रुपये की लागत से "मांडरडिसा में बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना" की परियोजना स्वीकृत की गई है। अब तक इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए असम सरकार मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के रूप में 24.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य समुदाय के सतत विकास और बांस औद्योगिक पार्क के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कुशल और अकुशल दोनों व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी ने बांस औद्योगिक पार्क, दीमा हसाओ सहित 134 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

3.21 एमएसएमई मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों में स्फूर्ति स्कीम के तहत 9 बांस समूहों की स्थापना की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नुमालीगढ़ बायो-रिफाइनरी संयंत्र को 3,00,000 टीपीए बांस का उपयोग करके 49,000 टीपीए बायो-इथेनॉल के उत्पादन का निदेश दिया है।

3.22 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के तहत, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 64.60 करोड़, ₹33.33 करोड़ और 35.20 करोड़ रु. की निधि जारी की गई। बांस समग्र विकास योजना नेडफ़ी द्वारा तैयार की गई है और कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया गया है।

3.23 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के भारत की बांस की निर्यात क्षमता बढ़ाने और उसके उत्पादों की चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने, जिसका दुनिया में निर्यात 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है और हमारा वर्तमान कारोबार 4000 करोड़ रु. (लगभग), प्रयास के संबंध में, सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2020 को हुई बैठक के दौरान निम्नवत बताया:

> "... कंट्री में बैम्बू का लगभग 40 परसेंट एरिया नॉर्थ-ईस्ट में है। हम अभी भी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं। हमारे मुकाबले चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। हमारा योगदान अपेक्षाकृत कम है। इसलिए मैंने कहा कि हम बैम्बू के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बना रहे हैं। हमने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और मंत्रालय के परामर्श से नेडफ़ी को शामिल किया है। स्पेशली उस मिनिस्ट्री के पास बजट की कमी नहीं है। बैम्बू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आता है। हर साल उनको 12-13 हजार करोड़ रुपये का एनुअल बजट मिलता है। वह 40

परसेंट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, बाकी 60 परसेंट लैप्स होकर उस पूल में जा रहा है, जहां से मैं ने कहा कि 75 हजार करोड़ रुपये का एक्युमुलेशन हो चुका है।"

3.24 22 दिसंबर 2020 को आयोजित बैठक के दौरान, बांस के विपणन के मुद्दे पर यह कहा गया कि ''बासं के बारे में एक बात यह है कि बांस के अधिकांश भंडार अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, परिवहन बहुत महंगा है। हमारा नया प्रयास इस बात पर है कि हम सुगम क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बांस के पौधे लगाएं, ताकि उसे आसानी से ले जाया जा सके। हम यह भी देख रहे हैं कि क्या हम बांस से प्रभावी पैकेजिंग सामग्री तैयार कर सकते हैं। हमने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग को शामिल किया है जो क्रेट के लिए प्रभावी पैकेजिंग विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हम इथेनॉल उत्पादन के लिए बांस के बागानों को रिफाइनरियों से जोड़ने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। इस संबंध में की गई प्रगति के संबंध मे, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया।

'' वर्ष 2018-19 के दौरान पनुर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत के बाद से, उत्तर पूर्वी राज्यों की गैर-वन सरकारी और निजी किसान भूमि में 5146 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की प्रजातियां लगाई गई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष 2018-19 से अब तक 162 बांस की नर्सरी स्थापित की गई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) उत्तर पूर्वी बेंत और बांस विकास परिषद (एनईसीबीडीसी) के सहयोग से फलों और सब्जियों की पैकेजिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए बांस के बक्से के डिजाइन और विकास में कार्यरत है। आईआईपी ने चार विभिन्न प्रकार की अवधारणा और प्रोटोटाइप विकसित किए और एनईसीबीडीसी को प्रस्तुत किया। छोटे आकार पर तीन और डिजाइन भी विकसित और प्रस्तुत किए गए हैं। क्रेट के अंदर टमाटर भरकर संपीड़न शक्ति और ड्रॉप परीक्षण भी किया गया और परीक्षण सफल रहा।

कारीगरों के लिए बांस के क्रेट उत्पादन पर पहला व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नवंबर, 2021 के चौथे सप्ताह मिजोरम के आइजोल में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। कारीगरों के लिए बांस के क्रेट उत्पादन पर दूसरा व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर, 2021 के पहले सप्ताह में मणिपुर राज्य में एक उपयुक्त स्थान पर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।"

3.25 नुमालीगढ़ में एक बायो-रिफाइनरी प्लांट, जो बायो-एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए 50,000 टन कच्चे बांस का उपयोग करेगा, जिसका उपयोग सीपीडब्ल्यूडी और कई निर्माण विभागों के सहयोग से पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण और बेहतर बांस प्लाई बोर्ड बनाने के लिए किया जाएगा, खोलने की सरकार की योजना के संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

"राज्य बांस मिशन, असम ने ऐसे कदम उठाए हैं जो वर्ष 2019-20 में शुरू हुए हैं और उम्मीद है कि बांस रोपण के चौथे वर्ष अर्थात वर्ष 2023- 24 में, परिपक्व पौधे विपणन के लिए उपलब्ध होंगे। योजना के अनुसार, नुमालीगढ़ बायो-रिफाइनरी कच्चे माल के रूप में अपनी रिफाइनरी में उपयोग के लिए बागान स्थल से इन परिपक्व बांसों की प्राप्ति/खरीद करेगी। असम राज्य बांस मिशन द्वारा बेचने और खरीदने की सुविधा के लिए नुमालीगढ़ बायो-रिफाइनरी और किसान उत्पादक संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए समझौते का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। चूंकि वृक्षारोपण वर्ष 2019-20 में शुरू हुआ है और 4 साल बाद परिणाम आने की उम्मीद है, इसलिए बांस के विपणन में वृद्धि इस चरण में नहीं हो रही है।

इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि बांस की विपणन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए एनबीएम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांस के लिए 28 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं।

सीपीडब्ल्यूडी ने बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं जिनका उपयोग निर्माण उद्योग में 9 प्रकार के बांस की लकड़ी के उत्पादों से संबंधित मदों (अर्थात बांस के फर्श, झालर, क्लैडिंग, पैनल वाले दरवाजे, छत, फाल्स सीलिंग आदि) को दिल्ली में उप शीर्ष 2019 की दरों की अनुसूची के तहत 26 मदों की नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके किया जा सकता है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

3.26 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), नामत: उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामैक) आते हैं। एनईएचएचडीसी का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हस्तशिल्प और हथकरघा तथा संबद्ध उत्पादों का विकास और संवर्धन तथा कारीगरों और बुनकरों का विकास करना है। नेरामैक एक गतिशील और जीवंत विपणन संगठन की भूमिका निभा रहा है, जो उत्तर पूर्वी के किसानों/उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कृषि,

खरीद, प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सहायता कर रहा है। नेरामैक के पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 को 77.45 करोड़ रुपये (17 करोड़ रुपये निधि आधारित सहायता के लिए और 60.45 करोड़ रुपये गैर-निधि आधारित सहायता के लिए) के पैकेज की मंजूरी दी थी। पुनरुद्धार पैकेज से नेरामैक को विभिन्न अभिनव योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी, जैसे बेहतर खेती सुविधाएं प्रदान करना, समूहों में किसानों को प्रशिक्षण देना, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के पश्चात सुविधाएं देना ताकि विश्व बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को कार्यक्रमों में भागीदारी, जीआई उत्पादों के पंजीकरण आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके।

3.27 नेरामैक के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बाद कृषि क्षेत्र, परियोजनाओं और कार्यक्रम प्रबंधन क्षेत्र, संभार तंत्र, छंटाई और ग्रेडिंग तथा मूल्य वर्धन, उद्यमिता और विपणन के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रोजगार का सृजन होगा।

3.28 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए प्रयासों/योजनाओं/परियोजनाओं की कमी के संबंध में, प्राक्कलन समिति ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित बैठक के दौरान निम्नवत टिप्पणी की:

> "जो भी आप लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप अक्तूबर 2021 को देखें तो, पिछले पचास वर्षों में, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सबसे गर्म महीना रहा है। क्लाइमेट मिटिगैशन के लिए हम लोग नॉर्थ-ईस्ट में क्या कर रहे हैं, इस बारे में किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। आप लोगों ने वहाँ एयरपोर्ट सहित दूसरी चीजें बनायी हैं। वह एरिया सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व वाला है। आज क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित भी वही एरिया होगा। इस बारे में मेरा आप सभी से प्रश्न है। आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए रोड आदि बनाये गये हैं। नॉर्थ-ईस्ट में जो फॉरेस्ट प्रिजर्व है, वहाँ का क्लाइमेंट चेंज नहीं हो, उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए ... हम लोग समझते हैं कि आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और यह अच्छी चीज है, परंतु उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बताया। यह आपके प्रेजेंटेशन में भी नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि उस बारे में इस मिनिस्ट्री को गंभीरता से सोचना चाहिए।"

3.29 मलेरिया और एचआईवी के प्रसार से निपटने और रोकने के लिए प्रयासों/योजनाओं/परियोजनाओं की कमी के संबंध में, प्राक्कलन समिति ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2021 को आयोजित बैठक के दौरान निम्नवत टिप्पणी की:

> "दूसरा, हेल्थ सेक्टर को भी आपने पास कर दिया। हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेते हैं। नॉर्थ-ईस्ट मलेरिया का कैपिटल है। यह आज भी है और 50 साल पहले भी था। आजाद हिंद फौज में आधे लोग मलेरिया से मरे थे और ब्रिटिश आर्मी से कम मरे थे। आज भी कहीं न कहीं वही स्थिति उस इलाके की है। वहाँ कोई भी पेशेंट हो यदि मलेरिया का ट्रीटमेंट दीजिए तो वह ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी आप जानकारी दीजिए। चूंकि आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, इसलिए आप हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देते कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट को कैसे मलेरिया से फ्री किया जाए।
>
> वैसे ही एचआईवी का भी हमारा वही कैपिटल है। क्या इसके लिए भी आप लोगों ने हेल्थ सेक्टर को बाईपास कर दिया? मुझे लगता है कि आप लोगों को मलेरिया और एचआईवी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि हम मलेरिया की बात करें तो बिहार से भी नॉर्थ-ईस्ट की हालत ज्यादा खराब है। यदि हम एचआईवी की बात करें तो आज केरल और नॉर्थ-ईस्ट के अन्य स्टेटस, जो सबसे ज्यादा इंफेक्टेड हैं, उनसे भी ज्यादा आपके नॉर्थ-ईस्ट में एचआईवी का प्रॉब्लम हैं। मेरा आपके मंत्रालय से प्रश्न होगा कि वहाँ के क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। इस तरह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके नॉर्थ-ईस्ट पर ही पड़ने जा रहा है। इसके लिए आज इतना बड़ा समिट होने जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ग्लासगो जाकर पूरे वर्ल्ड में वन ग्रीड की बात कर रहे हैं। आप लोग नॉर्थ-ईस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए।"

3.30 इसके उत्तर में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात् जलवायु परिवर्तन और उस क्षेत्र में विशिष्ट बीमारियां जो उस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं के संबंध में काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

अध्याय - चार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत सकल बजटीय सहायता

4.1 सरकार की वर्तमान नीति में यह निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, जब तक उन्हें विशेष रूप से छूट नहीं प्राप्त हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए अपनी योजनागत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% निर्धारित करते हैं ताकि इस क्षेत्र में बजटीय संसाधन प्रवाह में पर्याप्त बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना में बैकलॉग और अंतराल को भरा जा सके। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होने के नाते मंत्रालय की स्थापना के बाद से गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनिवार्य 10% जीबीएस के तहत व्यय की निगरानी और देखभाल करता है। सभी गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों की अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए खर्च करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रत्येक वर्ष बजट दस्तावेजों के विवरण 11 में बजट प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त निधियों को अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) में अंतरित किया जाता है, जिसे आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रोफार्मा आधार पर बनाए रखा जाता है।

4.2 मंत्रालय ने अपने एक लिखित उत्तर में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 10% जीबीएस के तहत कुल निर्धारित निधियों (सं.अ. चरण में) में लगभग 87.39% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 27,359.17 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 51,270.90 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 2021-22 के लिए 10% जीबीएस के तहत एनईआर के लिए ब.अ. आवंटन 68,020.24 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यथा दिनांक 31.03.2021 को 10% जीबीएस के अंतर्गत, 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक व्यय 51,270.90 करोड़ रुपये के सं.अ. की तुलना में 48,563.82 करोड़ रुपये रहा है और सं.अ. के व्यय का प्रतिशत क्रमशः 94.72% है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान विवरण 11 के अनुसार एनईआर के लिए 10% जीबीएस के अंतर्गत सं.अ. , ब.अ. और वास्तविक व्यय का ब्योरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

10% जीबीएस के अंतर्गत ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं.अ. के % के रूप में व्यय
2014-15	36,107.56	27,359.17	24,819.18	90.72
2015-16	29,087.93	29,669.22	28,673.73	96.64

2016-17	29,124.79	32,180.08	29,367.9	91.26
2017-18	43,244.64	40,971.69	39,753.44	97.03
2018-19	47,994.88	47,087.95	46,054.80	97.81
2019-20	59,369.90	53,374.19	48,533.80	90.93
2020-21	60,112.11	51,270.90	48563.82	94.72
2021-22	68,020.24		10916.87 (दिनांक 30.06.2022 तक)	16.05
स्रोत: विवरण 23/11, विभिन्न वर्षों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय वर्ष 2017-18 से आगे आंशिक रूप से शामिल हैं) मंत्रालय/विभाग *: वर्ष 2020-21 (सं.अ.) में एनईआर के लिए कुल निर्धारित आवंटन 60,112.11 करोड़ रुपये है।				

4.3 वास्तविक व्यय (वित्त वर्ष 2020-21) के अनुसार शीर्ष 10 खर्च करने वाले मंत्रालयों/विभागों का विवरण निम्नवत तालिका में दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

		वर्ष 2018-19				**वर्ष 2019-20**				**वर्ष 2020-21**			**वर्ष 2021-22**			
क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**संशोधित अनुमान का % व्यय**	**विवरण 11 के अनुसार बजट अनुमान**	**विवरण 11 के अनुसार संशोधित अनुमान**	**एनईआर (वर्ष 2019-20) के अंतर्गत चौथी तिमाही के अंत तक वास्तविक व्यय**	**संशोधित अनुमान का % व्यय**	**विवरण 11 के अनुसार बजट अनुमान**	**विवरण 11 के अनुसार संशोधित अनुमान**	**एनईआर (वर्ष 2020 - 21*) के अंतर्गत वास्तविक व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**संशोधित अनुमान का % व्यय**
1	ग्रामीण विकास	5481.3	3271.0	9742.5	297.8	5501.4	4349.0	5501.4	126.5	5608.4	5240.4	7979.2	5747.8	5055.8	12812.2	253.4
2	सड़क परिवहन और राजमार्ग	6210.0	6210.0	5944.5	95.7	6070.0	6070.0	5982.1	98.6	6780.0	7970.0	7935.2	9590.0	10520.0	10475.9	99.6
3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4178.0	4345.4	4001.8	92.1	4750.1	4556.9	4222.3	92.7	5000.0	4573.4	4894.9	5897.2	4997.8	9335.7	186.8
4	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	4457.7	3952.1	4125.3	104.4	4582.7	4448.2	4662.9	104.8	4705.7	1667.8	4792.7	5464.4	6481.4	4784.7	73.8
5	महिला एवं बाल विकास	2445.4	2451.3	1665.0	67.9	2891.4	2592.0	2724.7	105.1	2972.0	2078.8	2326.0	4919.8	4878.9	4279.7	87.7
6	उच्चतर शिक्षा	2459.6	2341.0	2263.3	96.7	2863.0	2863.0	2583.1	90.2	2721.3	2496.2	2288.6	1892.5	2802.5	3001.5	107.1
7	पेयजल और स्वच्छता	2234.3	1997.8	1750.0	87.6	1999.5	1833.9	1883.9	102.7	2149.4	1700.0	1811.7	12242.7	11731.8	2980.1	25.4

8	श्रम और रोजगार	741.2	947.5	947.5	100.0	1080.3	1080.3	634.4	58.7	1137.2	1309.5	1165.1	3012.2	2806.7	2725.0	97.1
9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	1274.0	1091.4	628.5	57.6	1836.2	1494.5	1483.0	99.2	1808.2	1040.0	1066.3	2417.0	2274.2	2544.8	111.9
10	शक्ति	1697.5	2891.0	2082.5	72.0	2346.9	2508.8	2071.0	82.6	2067.5	1056.0	1056.0	1275.6	1382.2	2378.0	172.0

4.4 जैसा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में कहा गया है, 10% जीबीएस के तहत मंत्रालयों/विभागों के व्यय की समीक्षा करने के साथ-साथ एनएलसीपीआर को प्राप्त होने वाले उपार्जनों की गणना करने और अंतिम जांच के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजने का अधिदेश दिया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि इन मंत्रालयों/विभागों की केन्द्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कुल ब.अ. के अपेक्षित 10% की तुलना में विवरण 11 में दर्शाए गए बजट प्रावधानों में कमी है। यह कमी कुछ मंत्रालयों/विभागों जैसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के संबंध में 12,072 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास 6,379 करोड़ रुपये, आवासन और शहरी कार्य 3,955 करोड़ रुपये और सड़क परिवहन और राजमार्ग 2,385 करोड़ रुपये के रूप में बहुत अधिक है। जिन शीर्ष 15 मंत्रालयों/विभागों में जहां वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रावधान की कमी देखी गई है, वह निम्नवत तालिका में दी गई है:

व्यय प्रोफाइल (केंद्रीय बजट 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के अनुसार वि.व. 2020-21 के लिए ब.अ. अनुमान और विवरण 3ए के अनुसार(केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों) के 10% के तहत मंत्रालय/विभाग का बजट प्रावधान (करोड़ रु. में)										
		वित्तीय वर्ष 2020-21						पूर्व के वर्षों में 10% जीबीएस की तुलना में ब.अ. में कमी		
		मंत्रालय/विभाग का कुल बजटीय प्रावधान								
क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं (सीएस)	केंद्र-प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमें (सीएस + सीएसएस)	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों/ परियोजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों का 10% (सीएस + सीएसएस का 10%)	विवरण 11 के अनुसार एन ई आर के लिए बजट अनुमान 2020-21	अपेक्षित 10% जीबीएस की तुलना में ब.अ. में कमी (कॉलम 6-7)	2019-20	2018-19	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	121077.92	20.00	121097.92	12109.792	36.90	12072.89	19037.249	17330.5	14979.46
2	ग्रामीण विकास विभाग	367.47	119506.96	119874.43	11987.443	5608.35	6379.09	6248.612	5754.13	5078.288
3	आवासन एवं शहरी कार्य विभाग	21488.01	24845.00	46333.01	4633.301	677.75	3955.55	3347.22	2859.418	3279.896
4	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	91656.45	0.00	91656.45	9165.645	6780.00	2385.65	2216.139	877.32	712.108
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	941.00	8452.33	9393.33	939.333	392.00	547.33	485.41	462.464	430.49
6	पुलिस	7297.45	3945.62	11243.07	1124.307	662.16	462.15	394.157	377.63	465.063
7	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4666.00	0.00	4666.00	466.6	32.00	434.60	399.463	390.9	387.028

8	वाणिज्य विभाग	5306.00	0.00	5306.00	530.6	100.00	430.60	433.3	345.373	272.197
9	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	2746.03	5346.51	8092.54	809.254	439.80	369.45	295.445	454.056	452.55
10	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	519.50	50080.50	50600.00	5060	4705.66	354.34	221.16	ला.न.	ला.न.
11	नागर विमानन मंत्रालय	3480.42	0.00	3480.42	348.042	69.99	278.05	346.421	416.07	200.01
12	पोत परिवहन मंत्रालय	1269.80	0.00	1269.80	126.98	50.00	76.98	75.185	ला.न.	ला.न.
13	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3050.00	0.00	3050.00	305	235.00	70.00	ला.न.	70	312.549
14	वस्त्र मंत्रालय	3428.76	0.00	3428.76	342.876	274.26	68.62	201.646	451.396	259.128
15	डाक विभाग	1592.23	0.00	1592.23	159.223	122.18	37.04	ला.न.	30	ला.न.

* ला.न. - लागू नहीं।

4.5 यह देखा गया है कि पिछले वर्षों में भी, इनमें से अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में अपेक्षित 10% जीबीएस की तुलना में कम बजट प्रावधान थे। इस मामले को सचिव, व्यय विभाग के साथ उठाया गया था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के संबंध में बजट प्रावधानों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि इसे केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कुल बीई/आरई के 10% के स्तर पर लाया जा सके।

4.6 वर्ष 2014-15 के बाद से प्रत्येक वर्ष में 10% जीबीएस के 100% आरई का उपयोग नहीं करने के लिए कारण और प्रत्येक मंत्रालय / विभाग के 10% जीबीएस का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया:

> "वर्ष 2014-2020 के दौरान विवरण-11 आरई का 100% उपयोग नहीं करने का कारण मंत्रालय से मंत्रालय और वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होता है। विभिन्न मंत्रालयों की लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के खराब प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण पर्याप्त संख्या में लक्षित जनसंख्या का अभाव है जिसके कारण एनईआर में योजना बजट का दस प्रतिशत का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। अन्य प्रमुख कारणों में एक विशिष्ट क्षेत्र में पूर्ण उपयोग की गुंजाइश कम होने के कारण पर्याप्त पात्र प्रस्तावों की कमी शामिल है; योजनाबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों में खराब क्षमता; योजनाओं के बारे में जानकारी और लाइन मंत्रालयों के प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों की कमी; यूसी आदि प्रदान करने की दिशा में कम प्रगति से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा समय पर निधि जारी करने में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों की कमी और कम कार्य मौसम, दुर्गम क्षेत्र, बंद, कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण देरी से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है ।
>
> अपनी समन्वय भूमिका में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है। मंत्रालय/विभाग धन के पूर्ण उपयोग के लिए संबंधित क्षेत्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अपनी त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों की निगरानी करता है और मंत्रालयों/विभागों से 10% जीबीएस के तहत आरई के 100% का उपयोग करने का आग्रह करता है। संपूर्ण निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग मंत्रालय का प्रयास रहा है और

क्षेत्र की कई अनूठी विशेषताओं और मानदंडों और पात्रता शर्तों को लागू करने में कठिनाइयों पर विचार करते हुए मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों से योजनावार समीक्षा करने और समय-समय पर उत्तर पूर्वी विशिष्ट योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया है । सभी मंत्रालयों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे परस्पर योजनाबद्ध पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटनों का पूरी तरह से उपयोग करें जो उनके स्तर पर संभव है । त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के अलावा मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे उत्तर पूर्वी के लिए 10 प्रतिशत जीबीएस के प्रति व्यय की नियमित रूप से निगरानी करें और सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार एनईआर के लिए अधिदेशित निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएं। मंत्रालयों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले को एनईआर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समय पर प्रस्ताव प्राप्त करने, निधियां शीघ्र जारी करने के लिए यूसी और ऐसे अन्य मुद्दों को उठाने का अनुरोध करें, जो राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी देने में मंत्रालय के समक्ष आ रहे हैं; समयबद्ध तरीके से आवश्यक धन जारी करें; और 10% जीबीएस संसाधनों को पूरी तरह से खर्च करें। मंत्रालय/विभाग, जो अपना 10% जीबीएस खर्च नहीं कर पा रहे हैं, को सलाह दी गई है कि वे अपने 10% जीबीएस से वित्तपोषण के साथ सहायता/सुविधा और/या परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनईसी के सचिव से संपर्क करें।"

4.7 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने लिखित टिप्पण में बताया था कि 10% जीबीएस के पुनर्विनियोजन तंत्र के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग हेतु नागर विमानन मंत्रालय और एनआईपीईआर नामक दो मंत्रालयों/विभागों, औषध निर्माण विभाग से प्राप्त अनुरोधों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया था। बीई वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर आवंटन की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने औषध निर्माण विभाग को और अधिक निधियों का आवंटन किया।

4.8 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय नियमित रूप से पूल में उपार्जन की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर पूर्वी के लिए विभिन्न मंत्रालयों में धनराशि का 10 प्रतिशत निर्धारण किया जाए और किसी भी कमी को एनएलसीपीआर पूल में जमा किया जाए। इन आंकड़ों का सत्यापन और पुष्टि वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो अथशेष, उपार्जन और अंत शेष पर पहुंचने से पहले आंकड़ों का

लेखापरीक्षण भी करवाता है। इस प्रकार, इस प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों (संशोधित पद्धति के अनुसार योजना व्यय) के योजना व्यय के कम से कम 10 प्रतिशत तक उत्तर पूर्वी राज्यों की हकदारी सुनिश्चित की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 तक एनएलसीपीआर पूल में शेष राशि को अंतिम रूप दिया गया है और यह 14,696 करोड़ रुपये है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूल का उपार्जन संकलित किया गया है और इसे पुनरीक्षण और अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

4.9 विषय की जांच के दौरान, दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत् बताया:

"अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 10 प्रतिशत जीबीएस की बात करें, तो चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान 60,112 करोड़ रुपये हैं, जिन्हें आरई चरण में कम किए जाने की संभावना है। ये आरई आंकड़े कल ही आए हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। मैं अपने आंकड़े बता सकता हूं लेकिन अन्य मंत्रालयों के लिए हम पहले संशोधित आंकड़ों को संकलित करेंगे, फिर हमें एक या दो दिन के भीतर प्राप्त हो जाएंगे।

53,370 करोड़ रुपये के आरई की तुलना में, मंत्रालय केवल 48,533 करोड़ रुपये खर्च कर सके जो कि 90.93 प्रतिशत है। यह गत वर्ष के आंकड़े हैं। कुछ मंत्रालय जैसे कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग आदि अपनी निर्धारित निधियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए, गत वर्ष, कृषि और किसान कल्याण विभाग अपने संशोधित आबंटनों का केवल 40.03 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया। यहां तक कि वर्ष 2018-19 में, वे अपने संशोधित अनुमानों का केवल 32.80 प्रतिशत उपयोग कर सके। हमारा मंत्रालय 10 प्रतिशत जीबीएस संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी मंत्रालयों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

हम नियमित रूप से प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा करते हैं, जैसा कि आपने अपने संबोधन में उल्लेख किया है कि राजधानी संपर्क मार्ग, राजधानी हवाई संपर्क, राजधानी रेल संपर्क, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ अन्य परियोजनाएं जिन्हें हम

विस्तार से बताएंगे। हम बांस,पाम आयल, हस्तशिल्प, हथकरघा और बागवानी के लिए समग्र क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए हमने अपनी एजेंसी एनईडीएफआई को लगाया है जो गुवाहाटी और आईआईएम शिलांग में स्थित है।

4.10 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने एक बैठक के दौरान, निम्नवत बताया:

"... हमारा प्रमुख आवंटन पीएम किसान योजना के लिए है, जो सर बता रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपये है। इसमें काफी सेविंग होती है। यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि वे हमें बेनिफिशरीज की लिस्ट वेरीफाई करके देते हैं। उसमें हम आलरेडी सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर वह 10 प्रतिशत यूज नहीं होता है। इसके अलावा, जो हमारी अन्य स्कीम्स हैं, जैसे क्रेडिट की स्कीम है, उसका भी उतना ऑफटेक नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, क्योंकि वहां ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कम है। जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें कई नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स पार्टीसिपेट नहीं करती हैं। ये सभी इश्युज हैं। हमारी एफर्ट्स जारी हैं। नॉर्थ-ईस्ट में जो हमारी मेजर स्कीम्स चलती हैं, उनमें से एक आर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम है। इसके अलावा, हार्टिकल्चर की हमारी स्कीम्स हैं। हम बैम्बू पर कंसेनट्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने लाइवलीहुड और इनकम इन्क्रीज की बात कही है। अब एक मेजर मिशन ऑयल पॉम के बारे में आया है, अभी उसकी ईएफसी वगैरह बन रही है। इसलिए, हम प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर यह शुरू हो रहा है। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वह एक एश्योर्ड इनकम टाइपका होगा। यह स्कीम अभी बन रही है।

4.11 इसके अतिरिक्त, इसी मुद्दे पर, सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"सर, इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। पहले भी जब मैं मिनिस्ट्री की रिव्यु मीटिंग करता हूं, ये कहते हैं कि पीएम किसान स्कीम में इनसे नॉर्थ-ईस्ट में पैसा एब्जॉर्ब नहीं होता है। हमने इनको रिटेन में भी बताया है कि यह 10 प्रतिशत जीबीएस स्कीम-वाइज नहीं है, यह पूरी मिनिस्ट्री एज ए होल के लिए है। किसी एक स्कीम में अगर कोई दिक्कत होती है या एब्जॉप्शन कैपेसिटी नहीं है तो नॉर्थ-ईस्ट के लिए अन्य कोई स्पेसिफिक स्कीम बना सकते हैं या किसी अन्य स्कीम में खर्च क रसकते हैं या नॉर्थ-ईस्ट के लिए नई स्कीम बना सकते हैं। जैसे बैम्बू की बात कर

रहे हैं, इनका नेशनल बैम्बू मिशन में आठ राज्यों के लिए पिछले साल 70 करोड़ रुपये का बजट था। यह कुछ भी नहीं है। बांस के लिए 8 राज्यों के लिए ₹70 करोड़ बहुत कम है। उससे ज्यादा पैसा हमने अपनी मिनिस्ट्री से, जो कि हमारा बेसिक काम नहीं था, 50 करोड़ रुपये बजट का एक सिंगल परियोजना, एक सिंगल लोकेशन पर पिछले साल हमने सैंक्शन कर दिया। वे बांस, पाम ऑइल, बागवानी, आदि में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत स्कोप है। चाहे पीएम किसान में एब्जॉप्शन कैपेसिटी नहीं भी है तो उसकी सेविंग कोलैप्स होने देने के बजाय उसे दूसरी स्कीम्स में यूज कर सकते हैं। यह बात हमने इनको अपनी रिव्यु मीटिंग्स में भी कई बार बताया है।

4.12 इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए समिति ने निम्नलिखित राय व्यक्त की:

"... किसी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति सरपंच बनता है, जो 400 से 500 एग्रीकल्चर सोसाइटीज बनाता है। वह पढ़ा-लिखा और तेज आदमी होगा तो उसे समझ रहेगी कि भाई, यह काम करना चाहिए। मैंने राज्यों में देखा है। ऐसे डेडिकेटेड ग्रुप्स एग्रीकल्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए बनें, एनजीओ टाइप के संगठन हों, सरकार उनको सपोर्ट करे क्योंकि केवल सरकारी तंत्र पर्याप्त नहीं है। वे सीमित हैं, हम जानते हैं। ऐसा होता है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर कोई डेडिकेटेड संगठन होगा तो उसकी लगन ज्यादा रहती है। ऐसा थोड़ा ऑब्जर्ब करके, किसी को थोड़ा सपोर्ट करके, स्पांस रकरके, अगर दोनों साथ-साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे चेक एंड बैलेंस भी रहता है, पार्टीसिपेशन भी बढ़ता है, लोगों से मिलने की आदत भी रहती है और लोग भी खुलकर बोलते हैं। अगर कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई तो गांव के लोग आएंगे कि कलेक्टर साहब आए हैं। वे वहां चुपचाप बैठेंगे, चाय पिएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां दो-तीन दिन रहता है, किसी के घर जाता है, खेत पर जाता है, गांव में जाता है, लोगों से मिलता है, तब लोग उससे खुलकर बोलते हैं। यह बहुत स्माल स्केल पर है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज अगर आगे दस साल में डेवलपमेंट नहीं हुई तो इन स्टेट्स की हालत बहुत खराब होने वाली है। पीएम साहब का यही सपना है, जैसे बाकी स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये सात स्टेट्स भी आगे बढ़ें और उसके लिए कुछ टाइम बाउण्ड प्रोग्राम भी चाहिए। ऐसे दस साल या बीस साल चलते रहने में कुछ मजा नहीं है।"

4.13 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के खराब प्रदर्शन और 10% जीबीएस में से खर्च बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

''.... वर्ष 2021-22 के लिए, 12,242.70 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सितंबर 2021 तक केवल 1,441 करोड़ रुपये खर्च कर पाया है, जो बीई का केवल 11.7% है। वर्ष 2020-21 के लिए, 13,380.98 करोड़ रुपये के बीई और 11,619.90 करोड़ रुपये आरई की तुलना में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केवल 2,926.79 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है, जो कि बीई का मात्र 21.87% और आरई का 25.19% है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 (30.09.2021 तक) के दौरान 10% जीबीएस के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बीई, आरई और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 (30.09.2021 तक) के दौरान 10% जीबीएस के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बीई, आरई और वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	आरई के मुकाबले % व्यय
2016-17	815.70	982.93	979.95	99.70
2017-18	1090.71	1261.37	1110.52	88.04
2018-19	1485.00	1225.67	888.52	72.49
2019-20	1476.28	1243.28	1243.28	100.00
2020-21	1474.49	852.52	852.52	100.00
2021-22	1135.04	1133.55	1133.29	99.98
कुल	7477.22			

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में और समय-समय पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र

के लिए 10% जीबीएस के तहत होने वाले व्यय की नियमित निगरानी करने और सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अधिदेशित निधियों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से यह भी आग्रह किया गया था कि 10 प्रतिशत की आवश्यकता पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए है, और यदि किसी वैध कारण से, किसी विशेष योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत व्यय के स्तर को प्राप्त करना संभव नहीं है, तो संबंधित मंत्रालय /विभाग उत्तर पूर्वी क्षेत्र परिस्थितियों के अनुरूप मौजूदा योजना मानदंडों को संशोधित कर सकते हैं, और/या नई उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार कर सकते हैं, और/या मंत्रालयों/विभागों की अन्य चल रही योजनाओं में 10% से अधिक संसाधन खर्च कर सकते हैं जिससे वे पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु निर्धारित 10% का इष्टतम उपयोग कर सकेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों को जारी किया गया फंड क्रमशः 64.60 करोड़ रुपये, 33.34 करोड़ रुपये, 35.20 करोड़ रुपये और 3.25 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय बांस मिशन रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सुविधाओं के निर्माण, संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कौशल विकास और ब्रांड निर्माण पहल से शुरू करते हुए उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों को क्लस्टर एप्रोच मोड में जोड़ने के लिए बांस क्षेत्र की पूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।"

हालांकि, उत्तर पूर्वी राज्य बांस वाले क्षेत्र और बढ़ते स्टॉक में समृद्ध हैं, लेकिन ये स्टॉक मुख्य रूप से वन भूमि में केंद्रित हैं। जैसा कि सीसीईए द्वारा अनुमोदित है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस का वृक्षारोपण केवल गैर-वन भूमि तक ही सीमित है। भारत में सबसे अधिक लगभग 16.00 मिलियन हेक्टेयर का बाँस उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आयात को कम करने, निर्यात बढ़ाने और चीन जैसे अन्य देशों के साथ मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि वन में उगाए गए बांस को बाजार मूल्य श्रृंखला में लाया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभागों द्वारा एक सतत् बांस कटाई नीति बनाई जा सकती है। गैर-वन भूमि में बांस की खेती की प्रवृत्ति ने हाल ही में गति पकड़ी है और बांस बारहमासी प्रकृति का होने के कारण इसके परिणाम आने वाले वर्षों में ही उपलब्ध होंगे।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने (i) बांस (ii) पाम ऑयल (iii) बागवानी (iv) हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट, राज्य विशिष्ट समग्र विकास योजनाओं को शुरू किया है जिन्हें नेडफ़ी/आईआईएम शिलांग द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और नेडफ़ी की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इन्हें कृषि मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संबंधित एनईआर राज्यों और अन्य हितधारकों को परिचालित किया गया था।"

4.14 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या पर्यटन मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोई योजना या स्कीम लाने की प्रक्रिया में है। समिति के इस प्रश्न के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी दी:

"... पर्यटन मंत्रालय की एक स्कीम स्वदेश दर्शन है जिसके तहत हम कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निधियां देते हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में, पिछले पांच वर्षों में इस स्कीम की शुरुआत के बाद से, हमने सोलह परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इस स्कीम के बजट का लगभग 20 प्रतिशत उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में खर्च किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अब अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कई स्थानों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक सफल योजना रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य को कम से कम दो सर्किट और परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। पिछले दो वर्षों में, इस योजना की समीक्षा की जा रही है इसलिए हम कहीं भी नई परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दे पाए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका समीक्षा की जाएगी। इस स्कीम के तहत उत्तर-पूर्व एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

अधिकांश परियोजनाएं जिन्हें पहले ही स्वीकृति प्रदान की गई है, अब बंद होने वाली हैं। विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कहीं-कहीं, समय पर मंजूरी नहीं मिलने, या काम की अवधि बहुत सीमित होने के कारण, प्रगति अपेक्षित तर्ज पर न होने की समस्या आई। अन्यथा, अधिकांश परियोजनाएं अग्रिम चरण में हैं।

पर्यटन मंत्रालय के लिए, 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत, वर्ष 2019-20 में बजटीय आवंटन 207 करोड़ रुपये था। आरई स्तर पर इसे संशोधित कर 129 करोड़ रुपये कर दिया गया और व्यय 57.69 प्रतिशत था। पिछले वर्ष व्यय कम हुआ था।

इससे पहले, हमने चार वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। केवल पिछले वर्ष में ही हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके क्योंकि स्वदेश दर्शन जैसी हमारी प्रमुख स्कीम के तहत, जहां हम नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते थे, हमने किसी भी नई परियोजना को स्वीकृति नहीं की। अन्यथा, उससे पहले हर वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक हमने 10 प्रतिशत के अपने लक्ष्य को पूरा किया।"

4.15 विषय की जांच के दौरान, समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की अवधारणा और नागर विमानन क्षेत्र में किए गए निवेश के विशेष संदर्भ में बनाई गई पहुंच और नागर विमानन क्षेत्र में लंबित प्रस्तावों के बारे में जानना चाहा। अपने लिखित उत्तर में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, उपयोगिताओं के स्थानांतरण और पुनर्व्यवस्थापन, भारी वर्षा, साइट के आस पास क्षेत्रों में निर्माण सामग्री और कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता आदि जैसी बाधाओं के कारण हवाईअड्डा परियोजनाओं में देरी हो रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है। अगरतला, गुवाहाटी, इंफाल और होलोंगी (ईटानगर) विमानपत्तनपर प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। उड़ान योजना में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत कुछ परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं जैसे बारापानी (शिलांग), रूपसी, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, उमरंगसो जलाशय आदि। आज की स्थिति अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र के पास कोई इंजीनियरिंग प्रस्ताव लंबित नहीं है।

4.16 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आबंटित की जा रही अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों की क्षमता के निर्माण/वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा देने के लिए कहे जाने पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:

"उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को आबंटित की जा रही अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण/संवर्धन के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इस मंत्रालय/एनईसी की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन/मानीटरिंग के लिए राज्य-वार मुख्य नोडल अधिकारियों/नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

- परियोजना निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है जिसमें विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल; पीएफ़एमएस के माध्यम से भुगतान; परियोजना स्थलों की जियो-टैगिंग; जियो-टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से वास्तविक प्रगति की निगरानी; मंत्रालय के तकनीकी विंग द्वारा निधियों (वास्तविक और वित्तीय प्रगति से जुड़ी) का समय पर जारी करना और प्रमुख परियोजनाओं का नमूना आधार पर निरीक्षण शामिल है।

- गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के तहत बजटीय संसाधनों के उपयोग की स्थिति की समीक्षा करने और उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने अपेक्षित उपाय करने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं/आयोजित की जा रही हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे नई उत्तर पूर्वी - विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करके या स्थानीय आवश्यकता और स्थिति के अनुसार मौजूदा योजनाओं को संशोधित करके, यदि आवश्यक हो तो निर्धारित संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी राज्यों को पहले से स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, अव्ययित शेष को कम करने और पहले से ही जारी की गई निधियों के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। एनईसी को 10% जीबीएस का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए हाल ही में अपने संगठन एनईडीएफआई और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस आईआईएम शिलांग से बागवानी, बांस, आयल पाम और हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र क्षेत्र-विशिष्ट, राज्य विशिष्ट विकास योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। प्रारूप योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और परामर्श के लिए संबंधित मंत्रालयों और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य हितधारकों को परिचालित कर दी गई हैं। इन योजनाओं को अंतिम रूप दिए

जाने के बाद, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को अपने 10% जीबीएस संसाधनों का उपयोग करके इन्हें लागू करने के लिए कहा जाएगा।

- परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय/एनईसी द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राज्य सरकार को सभी निधियां जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह पीएफएमएस के ईएटी माड्यूल को लागू करे और केवल इस प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करे।

- पीएफएमएस/ईएटी मॉड्यूल को लागू करने में राज्य एजेंसियों की मदद करने के लिए, जून 2017 और मई 2019 में कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए ईएटी-पीएफएमएस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इसके अलावा एनईसी में 2020 से पीएफएमएस के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया था ताकि प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और ईएटी-पीएफएमएस के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इससे निधियों की उपयोग क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है।

- उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त न होने से राज्यों को केन्द्रीय निधियों की बाद की किस्तें जारी करने में बाधा उत्पन्न हुई है। इससे निबटने के लिए, एनईसी ने जून 2018 से उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भरने के लिए एक यूसी पोर्टल बनाया है और अब तक, 345 यूसी प्रस्तुत किए गए हैं। मंत्रालय/एनईसी द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियों की तुलना में समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय/एनईसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को आबंटित की जा रही अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने की क्षमता के निर्माण/संवर्धन के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। चालू परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने में विलंब से बचने के लिए परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ-साथ लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के मिलान पर भी जोर दिया गया है।

- परियोजना के तत्काल वित्तपोषण के लिए एडीबी के समन्वय में जुलाई 2018 में एनईआर के राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस सुविधा को उत्तर पूर्वी राज्यों को

व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रस्ताव बनाने आदि में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था।

- 2018-19 के बाद से, सभी एनईसी परियोजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र द्वारा 100% वित्त पोषित किया गया था और निधियां सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गयी थीं। इससे कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय निधियां प्राप्त होने में विलंब कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया गया है।

- 23.01.2021 को आयोजित एनईसी की 69वीं पूर्ण बैठक का एजेंडा "परियोजना प्रबंधन और निधियों के उपयोग के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों की क्षमता में सुधार" से संबंधित था। राज्यों ने विचार-विमर्श किया है और तदनुसार परियोजना अवधारणा और डीपीआर तैयार करने के लिए क्षमता सृजन के लिए एनईसी से अनुरोध किया है ताकि बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा सकें। इन अनुरोधों पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।"

4.17 विषय की प्रतिपरीक्षा के दौरान समिति ने निम्नवत टिप्पणी की :-

''यदि योजनाएं नहीं आ रही हैं, तो हमने पूछा था कि क्षमता सृजित करने के लिए संबंधित मंत्रालय की तुलना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की क्या भूमिका है। एग्रीकल्चर में नार्थ-ईस्ट में बैठा हुआ आईएएस आफिसर, जो वहां नौकरी करने दु:खी होकर गया है, उसे क्या मतलब है कि वह कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाएगा। यह नवोन्मेष भारत सरकार से होना चाहिए; यह नवोन्मेष कृषि मंत्रालय के किसी योग्य अधिकारी द्वारा किया जाए जिसका किसी जिला मजिस्ट्रेट के साथ तालमेल हो अथवा वह क्षमता निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए किसी राज्य को शामिल करे। अभी तक, मैं कई वर्षों से इन बैठकों में भाग ले रहा हूं। मैंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को क्षमता निर्माण के बारे में बात करते हुए या संबंधित मंत्रालयों को क्षमता निर्माण के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। क्षमता निर्माण क्या है? मैं एक स्टेडियम का निर्माण करना चाहता हूं। उन्होंने खेलों के संबंध में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सभी निधियों को मिलाकर एक अद्भुत काम किया था। अब दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। मैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सब कुछ समझता है, पिछले एक वर्ष से प्रस्ताव तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं और इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं उन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं

कर पा रहा हूं, जिससे खेल मंत्रालय में प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा। इसी प्रकार स्वदेश दर्शन के अंतर्गत राज्य ने एक प्रस्ताव दिया होगा। किसी राज्य में, विशेषरूप से उत्तर पूर्वी राज्य में, कोई प्रस्ताव किस प्रकार तैयार किया जाता है, यह है कि कभी-कभी किसी अलग मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। क्या पर्यटन मंत्रालय ने सही परियोजना, सही प्रस्ताव, सही अनुमान, सही पहुंच और सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए उस क्षमता का सृजन किया है और योजना को कैसे तैयार करना है।

महोदय, राज्य की ओर से प्रस्ताव तैयार करने के बारे में यह क्षमता निर्माण बहुत ही निम्न स्तर का है। महाराष्ट्र राज्य के विपरीत, या शायद कुछ विकसित राज्यों में, जहां नवोन्मेषी अधिकारी हैं जो इसे बना सकते हैं, केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव तैयार करने, उस धन को एक जगह एकत्र करने और उसका उपयोग करने की क्षमता नहीं होती। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं। क्या आपने उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए संरचना सृजित करने का कोई प्रयास किया है या प्रयास करेंगे?''

4.18 यह पूछे जाने पर कि क्या केन्द्रीय मंत्रालयों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव (केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत) तैयार करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के लिए कोई क्षमता निर्माण कार्यक्रम विचाराधीन है ताकि दिशानिर्देशों के अनुरूप न पाये जाने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने की संभावना कम हो। समिति के इस प्रश्न के उत्तर में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि वर्तमान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों के लिए कोई क्षमता निर्माण कार्यक्रम नहीं है।

भाग-II

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बीई एमडीओएनईआर की लगभग 5,000 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले केवल 2,410 करोड़ रुपये रहा है और यह न केवल वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान से भी कम है बल्कि 2019-20 के संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय से भी कम है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान 3,048 करोड़ रुपये था, जिसे केवल 60 प्रतिशत स्तर, यानी 1,860 करोड़ रुपये तक घटा दिया गया था। विभाग वर्ष 2019-20 और 2020-21 में संशोधित अनुमान का 100 प्रतिशत उपयोग करने में समर्थ रहा है जो अनुमानित मांग से काफी कम था। समिति की राय है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध समृद्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों का क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका, इसलिए उपलब्ध संसाधनों के सौ फीसदी उपयोग से डीओएनईआर की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निवेश जरूरी है। समिति की राय में बुनियादी ढांचे की कमी ने न केवल आर्थिक विकास की संभावनाओं को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव की कीमत पर विभिन्न जातीय समूहों के बीच खाई भी पैदा हुई है। यह ज्ञात है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसकी सीमाएं अन्य देशों से मिलती हैं, पहले ही देश का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है और इसलिए, देश के बाकी हिस्सों के साथ उनका पूर्ण एकीकरण सर्वोपरि होना चाहिए। अत:, विकासात्मक गतिविधियों में क्षेत्रीय असंतुलन से बचने के लिए, एक स्थायी प्रशासनिक तंत्र, जिसे सरकार के सभी मंत्रालयों से अंशदान सहित विकास हेतु आवश्यक धन के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है, की सतत रूप से निगरानी किए जाने और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

समिति को बताया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उनके अगले पांच वर्षों के विजन के रूप में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की पांच वर्ष की अवधि के लिए ₹50,000 करोड़ से अधिक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है जो वर्ष 2021-22 से शुरू हो चुकी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि व्यय विभाग आगामी पांच वर्षों के लिए एमडीओएनईआर हेतु बजट का उचित रूप से अधिक आवंटन कर सकता है ताकि एमडीओएनईआर पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास में अधिक सकारात्मक प्रभाव के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से लागू कर सके।

2. पूर्वोत्तर राज्यों का क्षमता निर्माण तंत्र/बुनियादी ढांचा

समिति ने इस विषय की जांच के दौरान पाया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जैसे कुछ मंत्रालयों/विभागों के लिए, योजनाबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के निर्माण हेतु राज्यों में खराब क्षमता और योजनाओं और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के ज्ञान की कमी और सही परियोजना, सही प्रस्ताव, सही अनुमान, सही संपर्क और सही दृष्टिकोण प्राप्त करने की क्षमता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उनका 10% जीबीएस पूरी तरह से खर्च नहीं किया जा सका। समिति का दृढ़ मत है कि एमडीओएनईआर को एनईसी और नीति आयोग के समन्वय से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कोई भी प्रस्ताव तैयार कर सकें जो केंद्रीय मंत्रालयों के दिशानिर्देशों के अनुकूल हो ताकि दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों, के आधार पर अस्वीकृति की बहुत कम संभावना हो, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता

विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहचान किया गया एक मुद्दा पर्याप्त संख्या में लक्षित आबादी की कमी या पूरी तरह से धन को उपयोग करने के लिए राज्यों की मांग में कमी है।

इस परिदृश्य में, समिति का विचार है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके 10% जीबीएस के व्यपगत किए जाने से बचने के लिए स्थानीय लोगों की अनूठी जरूरतों और आकांक्षाओं एवं सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजनाएं बनानी/तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि एमडीओएनईआर ने भी इस विचार का समर्थन किया है कि शेष धनराशि का उपयोग किसी अन्य योजना में किया जा सकता है, इसलिए विभागों को इस सलाह का पालन करना चाहिए। अत: समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय इस मामले पर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक वीडियो सम्मेलन की योजना बनाए और तदनुसार ही उन्हें भविष्य के लिए सलाह दे।

4. एनएलसीपीआर या एनईएसआईडीएस द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी

समिति नोट करती है कि एनएलसीपीआर योजना को दिसंबर 2017 से बंद कर दिया गया है सिवाय इसके कि अब तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि एनएलसीपीआर योजना के तहत 16,233 करोड़ रुपये की 1635 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। समिति को आगे बताया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनईएसआईडीएस को दिसंबर 2017 से एनएलसीपीआर में बदल दिया गया है। समिति यह जानकर खुश है कि समय के साथ धन जारी किया गया है लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि मात्र धन जारी करने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की गारंटी नहीं मिल सकती है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की गति का आकलन करने के लिए एक निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है, जो कि एनएलसीपीआर (दिसंबर 2017 से पहले ही स्वीकृत) और एनईएसआईडीएस (दिसंबर 2017 से) जैसी योजनाओं द्वारा वित्त पोषित है। समिति मंत्रालय से यथा आवश्यक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आज तक की (चल रही) परियोजनाओं के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन करने का आग्रह करेगी ताकि कमियों,

यदि कोई हो, की प्रारंभिक चरण में ही पहचान की जाए और समय पर उपचारात्मक उपाय किए जाएं। समिति इस दिशा में मंत्रालय की भावी योजना से अवगत होना चाहेगी।

5. बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता।

समिति ने पाया कि कई मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने अनिवार्य 10% जीबीएस का 100% खर्च नहीं किया है और सभी प्रमुख मंत्रालयों में यह कमी देखी गई है। उदाहरण के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को वर्ष 2020-21 में 12,072.89 रुपये, 2019-20 में 19,037.249 रुपये और वर्ष 2018-19 में 17,330.5 रुपये की कमी हुई है। इसी तरह, ग्रामीण विकास विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आदि में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में कमी रही है। इसलिए, समिति सरकार से आग्रह करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने वाले सभी 54 गैर-छूट वाले विभागों/मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य 10% जीबीएस का 100% खर्च सुनिश्चित किया जाए। समिति एमडीओएनईआर से यह पुष्टि करने का आग्रह करेगी कि गैर-छूट वाले मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य 10% जीबीएस योजना/परियोजना के अनुसार है या समग्र रूप से। यदि यह जीबीएस का कुल 10% है, तो व्यय विभाग के परामर्श से पुनर्विनियोजन के माध्यम से इस कमी को ठीक किया जा सकता है।

6. एनएलसीपीआर पूल का लाभ उठाना

समिति ने नोट किया है कि अभी तक वित्त मंत्रालय ने एनएलसीपीआर स्कीम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय को समायोजित करने के अलावा केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिनकी सिफारिश उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, के वित्तपोषण के लिए एनएलसीपीआर पूल की तुलना में अथवा उससे बाहर किसी संसाधन की अनुमति नहीं दी गई है। चूंकि इस एनएलसीपीआर का रख-रखाव प्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है न

कि लोक लेखाओं में आरक्षित पूल के आधार पर जैसा कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन अथवा वर्ष 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार परिकल्पना की गई थी, इस पूल से संसाधनों का वास्तविक प्रवाह वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजटीय आबंटन के माध्यम से होना चाहिए, जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 की स्थितिनुसार, उक्त पूल में अनुमानित अनंतिम शेष राशि 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

समिति यह नोट करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इस एनएलसीपीआर पूल का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ पहले ही इस मामले को उठाया जा चुका है। इसके लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर परिषद के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों से 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का एक शेल्फ प्राप्त किया है। समिति इस बात से सहमत है कि वित्त मंत्रालय को सामने आने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपये के एनएलसीपीआर पूल का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए उचित तंत्र और तौर-तरीकों का सुझाव देने की आवश्यकता है। इसलिए, वे चाहते हैं कि इस मामले में अपनी ओर से उपयुक्त कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जाए।

7. 10% जीबीएस का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना

देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जिसका यदि कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए, तो यह न केवल इस क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकता है, बल्कि इसे वित्तीय रूप से समृद्ध भी बना सकता है। समिति ने नोट किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक मूल्यवान संसाधन हैं, जिनमें से एक बांस है। बांस क्षेत्र में उपलब्ध विशाल संभावनाओं को समग्र विकास योजनाओं और कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से अपेक्षित उत्साह की आवश्यकता है। समिति उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करती है, जो 10 प्रतिशत जीबीएस संसाधनों का अधिकतम उपयोग

सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता और उम्मीद करती है कि मंत्रालय निर्धारित निधियों के अधिकतम उपयोग करने हेतु उपयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के बांस सहित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए समन्वित प्रयास करेगा।

8. अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों की आवश्यकता

समिति ने नोट किया है कि एनईसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे कई प्रमुख संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस आईआईएम, शिलांग के परिसर में स्थित एक ऐसा संस्थान है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्वपूर्ण खंड के समग्र विकास के लिए इस तरह की रणनीतिक साझेदारियां समय की मांग हैं। वह ऐसे प्रमुख संस्थानों की भागीदारी के बाद से तैयार की गई/प्रचालित रणनीतिक योजनाओं/प्रस्तावों से अवगत होना चाहेगी। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय अभिनव और क्षेत्र विशिष्ट विकास मॉडलों का सुझाव देने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली संस्थाओं को शामिल करने की संभावनाओं की तलाश जारी रखे, जिन्हें कुछ अविकसित क्षेत्रों ने चुना होगा और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते समय पूर्वोत्तर के लिए भी उपयुक्त हो सकता है।

9. रणनीतिक साझेदारी

"पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना", अपनी तरह की पहली और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना देश के दूरस्थ रूप से स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। समिति ने एक साक्ष्य के दौरान पाया है कि उच्च स्तर की विश्व बैंक की इसी प्रकार की परियोजना अब तक फलीभूत नहीं हुई है। समिति इस तथ्य पर खेद व्यक्त करती है कि अंतरराष्ट्रीय सहायता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है, अन्यथा पूर्वोत्तर के विकास में वांछित गति मिलतीं। समिति आशा करती है कि मंत्रालय ऐसे अवसरों का अपेक्षित उत्साह और जोश के साथ लाभ उठाए जहां अंतरराष्ट्रीय सहायता या तो किसी क्षेत्र के लिए या विशेष रूप से किसी पूर्वोत्तर जिले के लिए प्रस्तावित है।

10. नल जल और बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता

समिति का मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों को पाइप द्वारा पानी नहीं मिल पा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए समिति ने मंत्रालय से इस मामले को जल शक्ति मंत्रालय के साथ उठाने का आग्रह किया है ताकि 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर तक पाइप से पानी पहुंच सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौतिक प्रगति को सीमित करने वाला एक अन्य प्रमुख मुद्दा सड़क, रेल और हवाई मार्ग से संपर्क है। बार-बार भूस्खलन और शत्रुतापूर्ण इलाके निर्माण/रखरखाव गतिविधियों को कठिन और महंगा बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि विभिन्न नवीनतम पहलों के तहत, सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में, समिति इस तथ्य को भी उद्धृत करना चाहेगी कि कई पूर्वोत्तर हवाई अड्डों के लिए रात की उड़ान का संचालन अभी भी संभव नहीं है। इसलिए वे मंत्रालय से नागर विमानन मंत्रालय के साथ निकट संपर्क में काम करने का आग्रह करेंगे ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमानों की 'नाइट लैंडिंग' संभव हो सके।

11. अन्य मुद्दे

उपर्युक्त के अलावा, कुछ अन्य मुद्दे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट हैं। समिति का मानना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में न केवल पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के मामलों में प्रचुर अवसर हैं, बल्कि यहां औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों सहित विचित्र वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत है। समिति चाहेगी कि मंत्रालय संभावनाओं का पता लगाए और देश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/आयुष विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले चिकित्सा संयंत्रों का अध्ययन कर सकें और अप्रयुक्त स्रोतों का पता लगा सकें।

नई दिल्ली;
14 दिसम्बर, 2022
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश भालचंद्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

प्राक्कलन समिति (2020-21) की दसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने मंगलवार, 22 दिसंबर, 2020 को 1130 बजे से 1330 बजे तक समिति कक्ष नंबर '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट – अध्यक्ष

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री सुदर्शन भगत
4. श्री नन्द कुमार सिंह चौहान
5. श्री पी. सी. गद्दीगौदर
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री के मुरलीधरन
9. श्री कमलेश पासवान
10. श्री विनायक भाउराव राउत
11. श्री अशोक कुमार रावत
12. श्री राजीव प्रताप रूडी
13. श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा
14. श्री प्रताप सिम्हा
15. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

सचिवालय

1. श्रीमती बी. विसाला - निदेशक
2. श्रीमती ए. ज्योथिर्मायी - अपर निदेशक
3. श्री आर. एस. नेगी - उप सचिव

साक्षी

सी.संख्या	नाम		पदनाम
1.	डॉ. इंदर जीत सिंह	-	सचिव, डोनर मंत्रालय
2.	श्री के. मोसेस चलाई	-	सचिव, एनईसी
3.	श्री इंडेवर पाण्डेय	-	विशेष सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर दुबे	-	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
5.	श्री सौरभ एंडली	-	संयुक्त सचिव
6	सुश्री ममता शंकर	-	आर्थिक सलाहकार
7.	श्री गायगोंगदिन पानमे	-	वित्तीय सलाहकार, एनईसी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के कार्यसूचि यानी "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलु" विषय पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की जानकारी दी । उन्होंने तब निर्देश दिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया जाये ।

3. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के निर्देश 55 (i) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और फिर सचिव, डोनर मंत्रालय को अपना परिचय देने को कहा।

4. तत्पश्चात, मंत्रालय ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक संक्षिप्त पॉवर-पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिस में मंत्रालय का विजन, मिशन और भूमिका, मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं और अन्य पहल, 2014-15 से वित्तीय प्रदर्शन, 2020-21 से 2025-26 तक बजटीय परिव्यय प्रस्तावित, एनईआर को 10% सकल बजटीय सहायता, गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों / विभागों का आवंटन और व्यय, व्यक्तिगत मंत्रालयों / विभागों का प्रदर्शन और एनईसी की भूमिका और उसका प्रदर्शन, संबंधित मंत्रालयों / विभागों का प्रदर्शन और एनईसी की भूमिका और उसका प्रदर्शन शामिल थी।

5. फिर सदस्यों ने इस विषय पर विभिन्न प्रश्न जैसे कि डोनर मंत्रालय और सीमावर्ती राज्यों को बजट आवंटन में कमी, कुछ मंत्रालयों / विभागों ने एनईआर में अपने अनिवार्य निधि का उपयोग नहीं किया है, राष्ट्रीय बांस मिशन और बागवानी, ताड़ का तेल, हस्तशिल्प और हथकरघा पर अन्य मिशन की संभावना और वर्तमान

स्थिति, एनईआर में पर्यटन विकास और संभावनाओं की स्थिति, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के एनईआर में चल रही / पूर्ण परियोजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन, एनईआर में शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का परिदृश्य, रोजगार सृजन योजना, आजीविका कार्यक्रम, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं, कोविद -19 महामारी के कारण नौकरियों की हानि, एनई राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी, एनईआर में सड़क नेटवर्क और इसी तरह के प्रश्न उठाए ।

6. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का जवाब दिया. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दो सप्ताह के भीतर उन बिंदुओं पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिनके बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी।

7. समिति की बैठक की शब्दश कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी।

———

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

प्राक्कलन समिति (2020-21) की बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 06 जनवरी, 2021 को 1130 बजे से 1310 बजे तक समिति कक्ष नंबर '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट – अध्यक्ष

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
4. श्री पिनाकी मिश्रा
5. डॉ. के.सी. पटेल
6. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
7. श्री राजीव प्रताप रूडी
8. श्री फ्रांसिस्को सरदीन्हा
9. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
10. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती बी. विसाला - निदेशक
2. श्रीमती ए. ज्योथिर्मायी - अपर निदेशक
3. श्री आर. एस. नेगी - उप सचिव

साक्षी

सी.संख्या	नाम		पदनाम
1.	डॉ. इंदर जीत सिंह	-	सचिव, डोनर मंत्रालय
2.	श्री के. मोसेस चलाई	-	सचिव, एनईसी
3.	श्री इंडेवर पाण्डेय	-	विशेष सचिव
4.	श्री सौरभ एंडली	-	संयुक्त सचिव
5.	सुश्री ममता शंकर	-	आर्थिक सलाहकार
6	श्री चंद्रमणि शर्मा	-	सांख्यिकीय सलाहकार
7.	श्रीमती छवी झा	-	संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
8.	श्री आर.के. वर्मा	-	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय
9.	श्री उमेश चंद कटारा	-	मुख्य इंजीनियर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
10.	श्री मधु रंजन	-	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के कार्यसूचि यानी "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलु" विषय पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की जानकारी दी । उन्होंने तब निर्देश दिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया जाये ।

3. सभापति ने मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के निर्देश 55 (i) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और फिर सचिव, डोनर मंत्रालय को अपना परिचय देने को कहा।

4. प्रतिनिधियों ने समिति में अपना परिचय देने के बाद, सचिव, डोनर मंत्रालय ने इस विषय पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दी। सदस्यों ने इस विषय पर विभिन्न प्रश्न जैसे कि एनईआर में प्राथमिकता वाली परियोजनाएं और उनका शारीरिक और वित्तीय प्रदर्शन, मूल लक्ष्य पूरा होने की तिथि, वर्तमान स्थिति, एनईआर के विकास में सीएसआर गतिविधि को उलझाने की संभावना, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डोनर मंत्रालय के बजट अनुमानों में भारी कमी, एनईआर में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद करने के लिए सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में विशेष भर्ती अभियान, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना में एनई राज्यों की रुचि की कमी या निराशाजनक भागीदारी, एनई राज्यों के आईएएस/आईपीएसकी कैडर ताकत, सीमा सड़क के विकास की तत्काल आवश्यकता, एनई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था, बैंकिंग, जीएसटी/राजस्व संग्रह, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विनिर्माण, बिजली उत्पादन और खपत की स्थिति और इसी तरह के प्रश्न उठाए ।

5. मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दो सप्ताह के भीतर उन बिंदुओं पर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी।

6. समिति की बैठक की शब्दश कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

प्राक्कलन समिति (2021-22) की पांचवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 26 अक्टूबर, 2021 को 1130 बजे से 1310 बजे तक समिति कक्ष नंबर '1', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री राजीव प्रताप रूडी – संयोजक

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री निहाल चंद चौहान
6. डा. संजय जायसवाल
7. श्री दयानिधि मारन
8. श्री पिनाकी मिश्रा
9. श्री के. मुरलीधरन
10. श्री कमलेश पासवान
11. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
12. श्री अशोक कुमार रावत

सचिवालय

1. श्रीमती ज्योचनामयी सिन्हा - निदेशक
2. श्रीमती ए. ज्योथिर्मायी - अपर निदेशक

साक्षी

सी. नं.	नाम		पदनाम
1.	श्री लोक रंजन	-	सचिव, डोनर मंत्रालय
2.	श्री के. मोसेस चलाई	-	सचिव, एनईसी
3.	डॉ. कुमार वी. प्रताप	-	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, डोनर मंत्रालय
4.	श्री शशि रंजन कुमार	-	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, डोनर मंत्रालय
5.	श्री सौरभ एंडली	-	संयुक्त सचिव, डोनर मंत्रालय
6	श्री रामबीर सिंह	-	संयुक्त सचिव, डोनर मंत्रालय
7.	श्रीमती अनुराधा एस. छगती	-	संयुक्त सचिव, डोनर मंत्रालय
8.	श्री चंद्रमणि शर्मा	-	सांख्यिकीय सलाहकार , डोनर मंत्रालय

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति ने श्री राजीव प्रताप रूडी, सांसद और समिति के सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए लोकसभा में नियम और प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 258 (3) के अनुसार चुना।

3. सर्वप्रथम, संयोजक ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के कार्यसूचि यानी "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलु" विषय पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य की जानकारी दी। संक्षिप्त चर्चा के बाद, के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया।

4. संयोजक ने डोनर मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें समिति में अपना परिचय देने के लिए कहा और समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देशों के निर्देश 55(i)की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

5. डोनर मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। सदस्यों ने इस विषय पर तत्पश्चात, सदस्यों ने इस विषय से संबंधित मुद्दों पर कई प्रश्न उठाए जैसे कि एनएलसीपीआर से एनईएसआईडीएस में परिवर्तन, डोनर द्वारा वित्त पोषित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र - बिजली, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य, एडीबी द्वारा वित्त पोषित उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना, बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों के लिए एनएलसीपीआर से संसाधनों के पुन: विनियोग के लिए डोनर मंत्रालय की सिफारिश के संबंध में व्यय विभाग के साथ उठाए गए मुद्दे, एनईसी समर्थन के साथ बनाए गए क्षेत्रीय संस्थान और परियोजनाएं, समय-समय पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अध्ययन और पहचान में नीति आयोग की मदद, जलवायु परिवर्तन शमन और मलेरिया, एचआईवी/एड्स की रोकथाम पर फोकस या योजनाओं की कमी, खराब मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन, खराब सड़क की स्थिति, नशीली दवाओं के मुद्दे से निपटना, आंतरिक क्षेत्रों में बिजली की कमी, अपने स्वयं के परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने / निर्धारण करने और उन पर परामर्श करने के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए एक संस्थागत ढांचे के निर्माण की संभावना, सूचना/डेटा का मंत्रालय-वार, योजना-वार विवरण का अभाव, बजट अनुमानों और उपयोग में कमी आदि।

6. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया। इसके बाद संयोजक ने उपयोगी जानकारी देने के लिए गवाहों को धन्यवाद दिया और उन मुद्दों पर लिखित जवाब देने के लिए कहा जिनका जवाब बैठक के दौरान नहीं दिया जा सका।

7. समिति की बैठक की शब्दश कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हो गयी।

———

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

प्राक्कलन समिति (2022-23) की तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 14 दिसंबर, 2022 को 1500 बजे से 1600 बजे तक कक्ष नंबर '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी. पी. चौधरी
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
8. श्री के. मुरलीधरन
9. श्री कमलेश पासवान
10. श्री अशोक कुमार रावत
11. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री राजीव प्रताप रुडी
13. श्री प्रताप सिम्हा
14. श्री परवेश साहिब सिंह
15. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - अपर सचिव
2. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक

2. सर्वप्रथम, संयोजक ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें समिति की कार्यसूची. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित तीन मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें अपनाया:

(i) 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के अनुमान और नीतिगत पहलू'

(ii) Xxx xxx

(iii) Xxx xxx

3. कुछ सदस्यों ने 19वीं मसौदा प्रतिवेदन विषयक विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मसौदा प्रतिवेदनों को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]